अनुक्रमणिका

प्राचार्य का सन्देश

कॉलेज के बारे में

1.पाठ्यक्रम: पूर्वस्नातक
और स्नातकोत्तर

2. प्रवेश प्रक्रिया

2.1 प्रवेश समिति

2.2 प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

2.3 ऑनर्स के लिए 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों ' की गणना प्रक्रिया

(कला और मानविकी), कार्यक्रम (बीए और बीएससी) और विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु

2.4 बालिकाओं के लिए छूट

2.5 ग्रेड रूपांतरण

2.6 आरक्षण एवं रियायतें

2.7 शुल्क ढांचा

2.8 शुल्क रियायत और वृत्तियाँ

2.9 प्रत्याहरण/ प्रवेश रद्द करने, प्रवासन आदि के कारण प्रवेश शुल्क वापसी के नियम।

2.10 प्रवेश सम्बन्धी शिकायत समिति

2.11 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

2.12 प्रवेश संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

3. विभाग और संकाय सदस्य

4. प्रशासनिक कर्मचारी

5. स्टाफ काउंसिल समितियां

विभागीय समितियां

सह करीकुलर गतिविधियां

5.1 विभागीय सोसाइटीज

5.2 सांस्कृतिक कार्यक्रम

5.3 खेल-कूद स्पर्धाएँ

5.4 वाद-विवाद प्रतियोगिताएं

5.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)

5.6 राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

5.7 गांधी अध्ययन मंडल

5.8 ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, पर्यावरण संरक्षण एवं फोटोग्राफी क्लब

6. कॉलेज सेल

6.1 महिला विकास सेल (डब्ल्यूडीसी)

6.2 समान अवसर सेल (ईओसी)

6.3 एससी / एसटी सेल

6.4 प्लेसमेंट सेल

7. अन्य महत्वपूर्ण समिति एवं अधिकारी

7.1 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

7.2 विरोधी भेदभाव अधिकारी

7.3 संपर्क अधिकारी - एससी / एसटी

7.4 संपर्क अधिकारी - ओबीसी

7.5 संपर्क अधिकारी - पीडब्ल्यूडी

7.6 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)

7.7 नोडल लोक शिकायत अधिकारी

7.8 वृत्तिक सलाहकार

8. सेंट्रल प्लेसमेंट सेल / सांस्कृतिक परिषद

9. कॉलेज की सुविधाएं

10. पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति

11. आंतरिक मूल्यांकन / उपस्थिति / पदोन्नति नियम

12. पहचान पत्र

13. धूम्र-निषेध छेत्र

14. बुनियादी नियम

15. विश्वविद्यालय नियम एवं अध्यादेश

16. छुट्टियों की सूची

17. शैक्षणिक विवरणिका

18. नए छात्रों के लिए दिशानिर्देशन कार्यक्रम

प्राचार्य का सन्देश

इस सर्वमान्य संस्था में आप सब नए छात्र-छात्राओं का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत ख़ुशी महसूस हो रही है। 1 9 64 में अपनी स्थापना के बाद से ही हमारे महाविद्यालय ने न सिर्फ उच्च-कोटि की शिक्षा प्रदान करने में ही बल्कि खेल, साहित्य, अभिनय और सार्वजनिक सेवा के छेत्र में भी उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए हमारे शिक्षकगण अविचल समर्थन के साथ प्रयासरत हैं। विगत वर्षों में हमारे छात्रों और शिक्षकगणों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, और आने वाले छात्रों के लिए और भी ऊँचे लक्ष्यों की स्थापना की है। अब हम उस समृद्ध परंपरा में गर्व कर सकते हैं जिसमें शिक्षाविद, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कवि, प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व एवं नाट्य-मंच कलाकार तथा शीर्ष क्रम के सिविल सेवक शामिल हैं।

कॉलेज का उद्देश्य विशिष्ट शिक्षण द्वारा छात्रों के बीच सद्भावना, सम्मान, सहयोग और विश्वास को विकसित करना है जो जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। कॉलेज स्वच्छ कैंटीन, सेमिनार रूम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रयोगशालाओं में पीडब्लूडी छात्रों के लिए विशेष सॉफ्टवेयर, ऑडिटोरियम और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है। कॉलेज का प्लेसमेंट सेल पास होने वाले छात्रों को उचित नौकरी खोजने में सहायता करता है। पूरे साल के दौरान संगोष्ठियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियां महाविद्यालय में एक जीवंत और जोशपूर्ण वातावरण कायम रखती हैं।

मैं अपनी समर्पित संकाय और शान्त कर्मचारियों की टीम के साथ एक मजबूत और अद्वितीय ज्ञान के आधार का निर्माण करते हुए सभी क्षेत्रों में महाविद्यालय को चरमबिंदु तक ले जाना चाहता हूँ।

राजधानी कॉलेज में, हम संस्कृत की कहावत : तेजसवी नानाव [अयू] -अितियेतम-एस्टु – में विश्वास रखते हैं। हमारा अध्ययन प्रबुद्ध हो (और हमें सबमे अंतर्निहित सत्य के सार की ओर अग्रसर करे)

हम आपसे एक समृद्ध और बहुसर्जनात्मक सहयोग की आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन में आप बेहतर इंसान और सफल व्यक्तियों के रूप में उत्तीर्ण हों।

डॉ राजेश गिरि

(प्राचार्य)

कॉलेज के विषय में

राजधनी कॉलेज का आदर्श वाक्य - तेजसविनाविस्तमस्तु – ज्ञान हमें रौशनी से भर दे (शिक्षक और छात्र दोनों को ही)। पचास से अधिक वर्षों से ही, कॉलेज ने अपने इस ध्येय का पालन किया है और सभी स्तरों पर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अंशभूत(संघटक) कॉलेज है। 1 9 64 में, दिल्ली प्रशासन ने नई दिल्ली के कीर्ति नगर में इस कॉलेज की स्थापना की। उस समय उसे दिल्ली कॉलेज कहा जाता था। इसके बाद, इसका प्रशासन एक स्वायत्त शासी निकाय में निहित किया गया और एक नया नाम - राजधानी कॉलेज - इसे दिया गया। 1 9 76-77 में जब इसके लिए एक नया, विशाल और सुविधाओं से सुसज्जित भवन का निर्माण किया गया तब कॉलेज ने अपने वर्तमान परिसर का अधिग्रहण किया, । राजा गार्डन के पास महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) पर पश्चिम दिल्ली में स्थित, यह कॉलेज दिल्ली और एनसीआर के सभी कोनों से सुलभ है। रमेश नगर और राजौरी गार्डन के मेट्रो स्टेशन से निकटता के कारण शहर के विभिन्न कोनों से कॉलेज तक पहुंचना और भी सुगम हो गया है।

महाविद्यालय ने ढांचागत विकास की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अनुकूल प्रयास किए हैं। अच्छी तरह से प्रकाशित विशाल कक्षाओं के अतिरिक्त, कॉलेज परिसर में एक वातानुकूलित प्रेक्षाग्रह, एक वातानुकूलित सम्मेलन कक्ष और कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा से लैस एक बहु-संपन्न पुस्तकालय है। लिफ्ट की सुविधा के साथ एक नया अकादमिक खंड हाल ही में हमारे ढांचागत ताकत और संवर्धित किया है। कॉलेज नई प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने में विश्वास रखता है। विज्ञान प्रयोगशालायें, कंप्यूटर साइंस लैबोरेटरी और सेंट्रल कंप्यूटर लैब के अलावा, कॉलेज ने प्रौद्योगिकी के साथ छात्रों के इंटरफेस की सुविधा के लिए कई विषयों के लिए समर्पित कंप्यूटर लैबोरेटरीज को स्थापित किया है। हमारा सदाबहार खेल का मैदान हमारा गौरव है क्योंकि यह उन छात्रों के बीच मैदानी मनोरंजन और खेल को प्रोत्साहित करता है, जो उल्लेखनीय नियमितता के साथ कॉलेज के लिए ख्याति अर्जित करते हैं।

विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी और जीत ने राजधनी कॉलेज को सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। चाहे वह बहस हो या नाटक, संगीत हो या नृत्य, एनसीसी या एनएसएस- हमारे क्रियाशील और प्रतिबद्ध संकाय के सक्षम मार्गदर्शन के माध्यम से, राजधानी के छात्रों ने हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। हम शख़्सियत को निखारने में विश्वास रखते हैं, छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि अपनी क्षमता को पहचाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। हमारे संकाय के समर्पण, विद्वता और उत्साह ने उन्हें अपने छात्रों के लिए एक आदर्श बनाया है।

कॉलेज सभी तीनों धाराओं में पाठ्यक्रम प्रदान करता है: मानविकी और सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान। विभिन्न प्रावीण्य पाठ्यक्रमों के साथ- साथ, कॉलेज में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान और संस्कृत, बैचलर ऑफ ऑनर्स कॉमर्स में तथा कैमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और मैथमैटिक्स में बैचलर ऑफ ऑनर्स कराता है। इसके अलावा, कॉलेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान धारा और विज्ञान धारा में स्नातक कार्यक्रम भी प्रदान करता है। राजधानी कॉलेज अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास और वाणिज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। यह विवरण-पत्रिका हमारे कॉलेज का संक्षिप्त परिचय कराती है।

पाठ्यक्रम प्रस्तुति

1.1 पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम:

पाठ्यक्रम	सीटें
1.1.1 कॉमर्स	
ऑनर्स के साथ बैचलर कॉमर्स में	123
1.1.2 मानविकी और सामाजिक विज्ञान	
बी ए (ऑनर्स।) अर्थशास्त्र	46
बी ए (ऑनर्स।) अंग्रेजी	46
बी ए (ऑनर्स।) हिंदी	46
बीए (ऑनर्स।)। इतिहास	46
बीए (ऑनर्स।)। राजनीति विज्ञान	46
बीए (ऑनर्स।)। संस्कृत	46
बी० ए० प्रोग्राम	185
1.1.3 विज्ञान	
बी एस सी। (ऑनर्स।) रसायन विज्ञान	62
बी एस सी। (ऑनर्स।)। इलेक्ट्रानिक्स	31
बी एस सी। (ऑनर्स।)। गणित	62
बी एस सी। (ऑनर्स।)। भौतिक विज्ञान	62
बीएससी प्रोग्राम। रसायन विज्ञान के साथ	46
बीएससी प्रोग्राम। कंप्यूटर विज्ञान के साथ	46
बीएससी प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ	31
बीएससी प्रोग्राम। औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ	31

1.2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों:

कॉलेज अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास और वाणिज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। जो छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय में पंजीकरण के बाद निर्धारित आवेदन पत्र पर अपने आवेदन को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित होने की तारीखों पर जमा कराना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित होने वाली सूची में एमए / एम.कॉम में प्रवेश के लिए स्वीकार किए गए उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित होंगे। एमए / एम.कॉम छात्रों का कॉलेज में ट्यूटोरियल में उपस्थित होना अपेक्षित है।

	पाठ्यक्रम	सीटें
1.2.1	एम.ए. (अंग्रेज़ी)	15
	एमए (हिंदी)	15
	एमए (इतिहास)	15
	एमकॉम	23

विवरण के लिए देखें: www.du.ac.in

2. प्रवेश प्रक्रिया

2.1 प्रवेश समितियां 2017-18

क्र.सं.	विभाग	संयोजक	सदस्य
1	बी० ए० (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	डॉ सुनील बाबू	सुश्री मोहिनी अग्रवाल
2	बी० ए० (ऑनर्स) अंग्रेजी	डॉ वेद मित्र शुक्ला	डॉ वर्षा गुप्ता
3	बी० ए० (ऑनर्स) हिंदी	डॉ देव कुमार	डॉ सपना चमडिया
4	बी० ए० (ऑनर्स) इतिहास	श्री महेंद्र एस धाकड़	डॉ अनिल कुमार
5	बी० ए० (ऑनर्स) राजनीति वि०	डॉ जी पी बैरावा	डॉ राजबीर सिंह
6	बी० ए० (ऑनर्स) संस्कृत	डॉ सविता निगम	
7	बी० ए० (प्रोग्राम)	डॉ सुशील कुमार आजाद	सुश्री गायत्री बी साहू श्री शफीकुल आलम डॉ चंद्रशेखर सिंह डॉ गणिता भूपल

8	बी कॉम (ऑनर्स)	डॉ राजेंद्र कुमार	डॉ रेणु गंभीर सुश्री मैरी सी लेथिल
9	बी एससी (ऑनर्स) रसायन वि०	डॉ सुमन मीणा	श्री आनंद प्रकाश
10	बी एससी (ऑनर्स) गणित	श्री रविंद्र कुमार	डॉ उर्वशी अरोड़ा सुश्री वंदना ढींगरा
11	बी एससी (ऑनर्स) भौतिकी	डॉ सोनिया लुम्ब	सुश्री ए पी सिंह
12	बी एससी (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स	डॉ संत नाथ	डॉ स्वाती नागपाल
13	बी एससी (प्रो) पीसीएम	श्री हरीश कुमार	श्री नितिन कुमार डॉ आर डी शर्मा
14	बी एससी (प्रो) कंप्यूटर एससी	सुश्री सुरभि खन्ना	डॉ अरुण चौधरी
15	बी एससी (प्रो) इलेक्ट्रॉनिक्स	डॉ जितेश कुमार	डॉ के के अरोड़ा श्री एम सी मीना
16	बी एससी (प्रो) औद्योगिक रसायन विज्ञान	डॉ वैशाली वी शाहारे	डॉ अरुण लाल

2.2 प्रवेश के समय अभीष्ट दस्तावेज:

आवेदकों को प्रवेश के समय स्वप्रमाणित दो प्रतियों समेत निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति को प्रस्तुत करना होगा:

1. दसवीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा प्रमाणपत्र

2. दसवीं कक्षा की मार्क्स-शीट

3. बारहवीं कक्षा की मार्क्स-शीट

4. बारहवीं कक्षा का अस्थायी प्रमाणपत्र / मूल प्रमाणपत्र

5. चरित्र प्रमाणपत्र (नवीनतम)

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गया अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी / सीडब्ल्यू / के.एम. प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर)

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गया ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र (उम्मीदवार के नाम पर) (नवीनतम)

8. स्कूल / कॉलेज से

सर्टिफिकेट के साथ-साथ बोर्ड / यूनिवर्सिटी से प्रवासन प्रमाणपत्र उन छात्रों से जरूरी है जिन्होंने दिल्ली से बाहर से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है
9. कम से कम दो पासपोर्ट आकार स्वप्रमाणित फोटो।

ध्यान दें:

◆ विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों / कागजातों की स्वाप्रमाणित प्रतियां स्वीकार करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी गलत साक्ष्य / ग़लत दस्तावेजों का पता चलता है, तो उस छात्र को अगले पांच सालों के लिए विश्वविद्यालय / या उसके कॉलेजों में किसी भी पाठ्यक्रम में भाग लेने से रोक दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त, आईपीसी (जैसे, 470, 471, 474 आदि) के अंतर्गत अपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा।

◆ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के पास अपने नाम पर प्रमाण पत्र होना चाहिए।
विवरण के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं।

2.3 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों 'प्रतिशत की गणना के लिए प्रक्रिया

2.3.1. ऑनर्स कोर्स (कला / मानविकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए) के लिए 'सर्वश्रेष्ठ चार' विषयों 'की गणना के लिए प्रक्रिया:

क. एक भाषा (कोर / वैकल्पिक / कार्यात्मक)

ख. जिस विषय में प्रवेश चाहिए (यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित विषय को शामिल नहीं करता है चाहे वो उसके द्वारा पढ़ा गया है या नहीं, तो 'सर्वश्रेष्ठ चार', जिसके ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश मांग रहा है, तो इस दशा में परिकलित 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत में 2.5% कटौती की जाएगी)। भाषाओं में ऑनर्स के लिए बिंदु 12, भी देखें ।
ग. लिस्ट ए के अनुसार कोई अन्य दो शैक्षणिक / वैकल्पिक विषय।

ध्यान दें:

i. यदि किसी अभ्यर्थी ने 'सर्वश्रेष्ठ चार' में लिस्ट ए में दिए गए विषयों को शामिल नहीं किया है, तो अधिकतम चार अंकों की गणना के लिए प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक का 2.5% घटाया जाएगा।
ii. 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना में शामिल किए जाने वाले सभी विषयों में परीक्षा का कम से कम 70% सिद्धांत घटक होना चाहिए।
उस स्थिति में जब उस विषय में 70% सिद्धांत घटक और 30% प्रायौगिक घटक नहीं हैं, फिर सिद्धांत और व्यावहारिक के अंक को क्रमशः 70% और 30% रूपांतरित किया जाएगा, क्रमशः प्रो रेटा आधार पर। इन नए अंकों को तब 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना के लिए माना जाएगा।

उदहारण: (1) यदि किसी उम्मीदवार ने प्राप्त किये हैं : भौतिक विज्ञान में 90 (सिद्धांत 50, प्रायौगिक 40; अधिकतम अंक सिद्धांत 60, प्रायौगिक 40), और रसायन विज्ञान में 91 (सिद्धांत 52, प्रायौगिक 39; अधिकतम अंक सिद्धांत 60, प्रायौगिक 40) 70: 30 के अनुपात में नहीं है, फिर अंक प्रो रेटा आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।

भौतिक विज्ञान में प्रो राटा अंक = 88.3 ((50/60) x 70 + (40/40) x 30) = 58.33 + 30 = 88.33

रसायन में प्रो राटा अंक = 89.92 ((52/60) x 70 + (39/40) x 30) = 60.67 + 29.25 = 89.92

(2) यदि किसी उम्मीदवार ने प्राप्त किये हैं: भौतिकी 88 (सिद्धांत 45, आईए 14, प्रायौगिक 29; अधिकतम अंक सिद्धांत 56, आईए में 14, प्रायौगिक 30), रसायन विज्ञान 92 (सिद्धांत 48, आईए 14, प्रायौगिक 30; अधिकतम अंक सिद्धांत 56, आईए 14, प्रायौगिक 30), अंग्रेजी (90) और जीवविज्ञान 95 (सिद्धांत 51, आईए 14, प्रायौगिक 30; अधिकतम अंक सिद्धांत 56 , आईए 14, प्रायौगिक 30) गणित 92 भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के गुणों में 70% से कम सिद्धांत घटक हैं और इसलिए इन्हें रूपांतरित किया जाना है
प्रो रेटा आधार पर 70:30 अनुपात। भौतिक विज्ञान के लिए, यह 56.25 + 29.32 = 85.25 है। (45/56) x 70 + 29 = 56.25 + 29 = 85.25

रसायन शास्त्र के लिए, यह 60 + 30 = 90 है। ((48/56) x 70 + 30 = 60 + 30 = 90

जीव विज्ञान के लिए, यह 63.75 + 30 = 93.75 है। ((51/56) x 70 + 30 = 63.75 +30 = 93.75

सूची ए:

निम्नलिखित शैक्षणिक विषयों को अंडर ग्रेजुएट प्रवेश हेतु शैक्षिक / वैकल्पिक विषयों के रूप में माना जाना चाहिए। विभिन्न बोर्डों द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी विषयों को गैर-वैकल्पिक रूप में माना जा सकता है:

अरबी, बंगाली, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य*****, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, फ्रेंच, भूगोल, भूविज्ञान, जर्मन, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, इतालवी, कानूनी अध्ययन, गणित, संगीत, फ़ारसी, दर्शन, भौतिकी, राजनीति विज्ञान , मनोविज्ञान, पंजाबी, संस्कृत, समाजशास्त्र, स्पैनिश, सांख्यिकी, उर्दू और जीव विज्ञान

1. अकाउंटैंसी / बिजनेस स्टडीज / कॉमर्स को अकादमिक / वैकल्पिक विषयों के बराबर माना जाएगा।

2. जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी और बिजनेस स्टडीज को शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के रूप में माना जाएगा।

3. मास मीडिया स्टडीज को बीए (ऑनर्स) पत्रकारिता(हिंदी / अंग्रेजी) में प्रवेश के उद्देश्य के लिए एक शैक्षिक विषय के रूप में माना जाएगा।

4. बीए (ऑनर्स।) हिंदी पट्रेकरिता और बीए (ऑनर्स) पत्रकारिता में प्रवेश के लिए बीए (ऑनर्स।) हिंदी और बीए (ऑनर्स।) अंग्रेजी, क्रमशः के 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत के अनुरूप होगी।

5. अगर उम्मीदवार ने एक भाषा में वैकल्पिक और कोर दोनों का अध्ययन किया है, तो कोर भाषा विषय को भाषा के रूप में माना जाएगा, जबकि वैकल्पिक भाषा को शैक्षणिक / वैकल्पिक विषय के रूप में माना जा सकता है।

6. बीए (ऑनर्स।) एप्लाइड साइकोलॉजी में प्रवेश हेतु बीए (ऑनर्स।) मनोविज्ञान की तरह 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत पर आधारित होगी

7. बीए (ऑनर्स) सामाजिक कार्य और बीए (ऑनर्स।) दर्शन शास्त्र में प्रवेश, 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत पर उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जिसमे एक भाषा और तीन शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों शामिल होंगे, पर आधारित होगा

8. 'सूचना विज्ञान' विषय भी कंप्यूटर विज्ञान के समकक्ष होगा केवल कंप्यूटर साइंस (ऑनर्स) में प्रवेश हेतु

9. अर्थशास्त्र और वाणिज्य के ऑनर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों ने अर्हकारी परीक्षा में गणित का अध्ययन किया और पास किया होना चाहिए

10. बिजनेस गणित को बीकॉम (एच) / बीकॉम में प्रवेश के लिए गणित के बराबर माना जाएगा।

11. (क) किसी भी भाषा पाठ्यक्रम के ऑनर्स में प्रवेश के लिए, सर्वश्रेष्ठ चार प्रतिशत में 2% का लाभ उन उम्मीदवारों को दिया जा सकता है, जिन्होंने उसी भाषा के वैकल्पिक विषय का भी अध्ययन किया है।

(ख) यदि किसी उम्मीदवार ने योग्यता परीक्षा में वह भाषा नहीं पढ़ी है और जिस भाषा में ऑनर्स के लिए प्रवेश की मांग है (अंग्रेजी और हिंदी में ऑनर्स को छोड़कर, इसके लिए देखें (ग)), तब 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत में 5% की कटौती की जायेगी

(ग़) अंग्रेजी और हिंदी ऑनर्स में प्रवेश के लिए, उम्मीदवार का अर्हता परीक्षा में संबंधित भाषा का अध्ययन और उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत की गणना के लिए संबंधित भाषा शामिल होनी चाहिए।

12. विश्वविद्यालय किसी अन्य उचित विषय को किसी ख़ास ऑनर्स कोर्स के लिए अकादमिक / वैकल्पिक के रूप में परिभाषित कर सकता है।

'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत की गणना के लिए उदाहरण नीचे दिए गए हैं

उदाहरण 1: यदि किसी उम्मीदवार के अंक हैं: लेखा (90), बिजनेस स्टडीज (9 2), अंग्रेजी (88) और अर्थशास्त्र (94)। कुल अंक 90 + 92 + 88 + 94 = 364, बीकॉम (ऑनर्स) के लिए प्रभावी प्रतिशत: 91% , बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी है 91% बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र, बीकॉम (ऑनर्स) , बी.ए. (ऑनर्स) के लिए पात्र नहीं हैं। बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान 91% - 2.5% = 88.5%

उदाहरण 2: यदि किसी उम्मीदवार के अंक हैं: भौतिकी (96) *, रसायन विज्ञान (92) *, अंग्रेजी (90) और गणित (94) कुल अंक 96 + 92 + 90 + 94 = 372 हैं, तो प्रतिशत 93% है। तो प्रभावी प्रतिशत बीए (ऑनर्स) इतिहास के लिए 93% - 2.5% = 90.5%, बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी के लये 93%, बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र के लिए 93% - 2.5% = 90.5%, बीएससी (ऑनर्स) गणित के लिए 93% होगी।

उदाहरण 3: यदि किसी उम्मीदवार के अंक हैं: लेखा (88), अंग्रेजी (92), पंजाबी इलैक्टिव (90), गणित (80) और वेब डिजाइनिंग (96)। कुल अंक 88 + 92 + 90 + 96 = 366 हैं, प्रतिशत 91.5% है। तब प्रभावी प्रतिशत बीकॉम (ऑनर्स) 91.5-2.5 (डब्लूडी) = 89%, बीए (ऑनर्स।) हिस्टरी के लिए 91.5% -2.5% (डब्लूडी) -2.5% (इतिहास) = 86.5% बीए (ऑनर्स।) पंजाबी 91.5% - 2.5% (डब्लूडी) + 2% (इलैक्टिव) = 91% बीएससी (ऑनर्स) गणित (अंग्रेजी, गणित, लेखा, पंजाबी) 87.5% होगी।

उदाहरण 4: यदि किसी उम्मीदवार के अंक हैं: लेखा (90), बिजनेस स्टडीज़ (92), अंग्रेजी (88) और होम साइंस (94), गणित (85)। फिर कुल अंक 90 + 92 + 88 + 94 = 364, प्रतिशत 91% है। बीकॉम (ऑनर्स।) के लिए प्रभावी प्रतिशत 91% बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी 91% बीए (ऑनर्स) इतिहास 91% -2.5% (ऑनर्स) =88.5 बीएससी (ऑनर्स) गणित 88 + 85 + 94 + 92 = 359, तब प्रतिशत होगा: 89.75%

उदाहरण 5: यदि किसी उम्मीदवार के अंक हैं: भौतिकी (85)*, रसायन विज्ञान (90)*, अंग्रेजी (90) और जीव विज्ञान (85)* भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में 70% से कम सिद्धांत घटक हैं। पीसीबीई में कुल अंक हैं: 85 + 90 + 85 + 90 = 350 जोकि प्रतिशत 87.5%* है तब बीए (ऑनर्स।) अंग्रेजी के लिए प्रभावी प्रतिशत है 87.5% और बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान के लिए 87.5% - 2.5% (ऑनर्स) = 85%

उदाहरण 6: यदि किसी उम्मीदवार के अंक हैं:: अंग्रेजी इलैक्टिव (92), इतिहास (65), राजनीति विज्ञान (85), भूगोल (89) और होम साइंस में (90)। इतिहास को छोड़कर कुल अंक 356। प्रतिशत 89% है बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी 89% + 2% (इलैक्टिव) = 91% बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान 89% बीए (ऑनर्स) इतिहास 89 - 2.5% = 86.5% (इतिहास शामिल नहीं) बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान 89-2.5% = 86.5%

*भौतिक विज्ञान / रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान पत्रों में अंक 70: 30 (सिद्धांत: प्रायौगिक) के अनुपात में होना चाहिए, अन्यथा, प्रो रेटा आधार पर गणना किए गए अंकों पर ही विचार किया जाएगा।

कार्यक्रम:

क. एक भाषा (कोर / वैकल्पिक / कार्यपरक)

ख. कोई भी तीन वैकल्पिक विषयों को चुना जा सकता है। अगर धारा में कोई परिवर्तन होता है तो 'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत पर 5% तक की कटौती लगाई जा सकती है।

ग. एक गैर-सूचीबद्ध (सूची ए) विषय को किसी भी कटौती के बिना 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना में शामिल किया जा सकता है।

घ. बीए (व्यावसायिक) में प्रवेश के लिए केवल, संबंधित व्यावसायिक विषयों को शैक्षणिक / वैकल्पिक विषयों के बराबर माना जा सकता है और अध्ययन के पाठ्यक्रम से सम्बंधित दो व्यावसायिक विषयों को 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना के लिए शामिल किया जा सकता है।

ङ. अगर किसी उम्मीदवार ने एमआईएल (हिंदी को छोड़कर) को एक विषय के रूप में चुना है, तो 10% तक का लाभ 'सर्वश्रेष्ठ चार' में दिया जा सकता है उन कॉलेजों में जहां एमआईएल को एक विषय के रूप में पेश किया जाता है।

ध्यान रखें:

i. कॉलेज को पहले से ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके स्ट्रीम में बदलाव के लिए 5% तक वास्तविक कटौती को सूचित करना होगा और विश्वविद्यालय को इससे सम्बंधित सूचना देनी होग।

ii. यदि एक से अधिक गैर-सूचीबद्ध विषय 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना के लिए शामिल है तो 2.5% की कटौती प्रत्येक विषय के लिए लगाईं जायेगी, ये धारा के परिवर्तन के कारण कटौती के अतिरिक्त होगी।

iii. 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना में शामिल किए जाने वाले सभी विषयों में परीक्षा का कम से कम 70% सिद्धांत घटक होना चाहिए।

यदि किसी विषय में, 70% सिद्धांत घटक और 30% प्रायौगिक घटक नहीं हैं, फिर सिद्धांत और प्रायौगिक के अंक को क्रमशः 70% और 30% रूपांतरित किया जाएगा, क्रमशः प्रो रेटा आधार पर। इन नए अंकों को 'सर्वश्रेष्ठ चार' की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पर विचार किया जाएगा, यह (i) के अतिरिक्त है।

'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत की गणना के लिए उदाहरण नीचे दिए गए हैं

उदाहरण 7: यदि किसी उम्मीदवार ने लेखा (90), बिजनेस स्टडीज़ (92), अंग्रेजी (88) और इकोनॉमिक्स में (94) अंक अर्जित किए हैं। कुल अंक 90 + 92 + 88 + 94 = 364 हैं प्रतिशत 91% है बीकॉम के लिए प्रभावी प्रतिशत: 91% बीए (प्रोग्राम) 91-5 ** = 86%

उदाहरण 8: यदि किसी उम्मीदवार ने भौतिकी (96) *, रसायन विज्ञान (92) *, अंग्रेजी (90) और गणित में (94) आर्जित किये हैं। कुल अंक 96 + 92 + 90 + 94 = 372 और प्रतिशत 93% है। बीए (प्रोग्र) 93-5 ** = 88% बीकॉम के लिए प्रभावी प्रतिशत 93-5 ** = 88% है।

उदाहरण 9: अगर किसी उम्मीदवार ने अर्जित किये: इतिहास (88), अंग्रेजी (92), राजनीति विज्ञान (90) और वेब डिजाइनिंग (96)। * कुल अंक 88 + 92 + 90 + 96 = 366, प्रतिशत 91.5% है। बीए (प्रोग्राम) के लिए प्रभावी प्रतिशत: 91.5%

उदाहरण 10: यदि किसी उम्मीदवार ने लेखा (90), बिजनेस स्टडीज़ (62), अंग्रेजी (88), वेब डिज़ाइनिंग (94) * और पेंटिंग (95) * में अंक अर्जित किए हैं। कुल अंक 90 + 95 + 88 + 94 = 367, प्रतिशत है 91.75% बी.ए. (प्रोग) के लिए प्रभावी प्रतिशत: 91.75-5 ** - 2.5 # = 84.25%, बीकॉम के लिए 91.75-2.5 # = 89.25%

** धारा के परिवर्तन के कारण कटौती है।
# दूसरे व्यावसायिक विषय के लिए है
* इन पत्रों में अंक 70: 30 (सिद्धांत, व्यावहारिक) के अनुपात में होना चाहिए, अन्यथा, प्रो राटा के आधार पर गणना पर विचार किया जाएगा।

2.3.3. विज्ञान पाठ्यक्रम में अंकों की गणना के लिए प्रक्रिया

गणितीय विज्ञान / विज्ञान / गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए चयन का आधार अपरिवर्तित रहता है। चयन के लिए (पीसीएम / पीसीबी / पीसीएमबी) के लिए शामिल किए जाने वाले सभी विषयों में परीक्षा के कम से कम 70% सिद्धांत घटक अवश्य होना चाहिए। यदि जिस विषय को सम्मलित करना चाहते उसमें 70% सिद्धांत घटक और 30% प्रायौगिक घटक नहीं हैं, फिर सिद्धांत और प्रायौगिक के अंक को क्रमशः 70% और 30% रूपांतरित किया जाना चाहिए, क्रमशः प्रो रेटा आधार पर। पीसीएम / पीसीबी आदि की गणना के लिए इन नए अंकों पर विचार किया जाएगा।
उदाहरण 11: यदि किसी उम्मीदवार ने स्कोर किया है: भौतिकी 90 (सिद्धांत 50, प्रायौगिक 40; अधिकतम अंक सिद्धांत 60, प्रायौगिक 40), रसायन विज्ञान 91 (सिद्धांत 52, प्रायौगिक 39; अधिकतम अंक सिद्धांत 60, प्रायौगिक 40), अंग्रेजी (90) और गणित (95), शारीरिक शिक्षा (92) भौतिकी और रसायन विज्ञान में 60% सिद्धांत घटक और 40% प्रायौगिक अंक हैं। भौतिक विज्ञान में प्रो राटा अंक = 88.3% रसायन में प्रो राटा अंक = 89.92% इसलिए, पीसीएम में कुल अंक हैं: 88.33 + 89.92 + 95 = 273.25 = 91.08% और पीसीएम हैं: 88.3 + 89.92 + 95 + 90 = 363.25 =90.81%।

उदाहरण 12: यदि किसी उम्मीदवार ने स्कोर किया है: भौतिकी 88 (सिद्धांत 45, आईए 14, प्रायौगिक 29; अधिकतम अंक सिद्धांत 56, आईए 14, प्रायौगिक 30), रसायन विज्ञान 92 (सिद्धांत 48, आईए 14, प्रायौगिक 30; अधिकतम अंक सिद्धांत 56, आईए 14, प्रायौगिक 30), अंग्रेजी (90) और जीवविज्ञान 95 (सिद्धांत 51, आईए 14, प्रायौगिक 30; अधिकतम अंक सिद्धांत 56, आइए 14, प्रायौगिक 30)। गणित 92. भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में 70% से कम सिद्धांत घटक हैं और उन्हें 70:30 में परिवर्तित किया जाना चाहिए। भौतिकी के लिए, यह 56.25 + 29 = 85.25 है; रसायन शास्त्र के लिए, यह 60 + 30 = 90 है; जीव विज्ञान के लिए, यह है
63.75 +30 = 93.75 पीसीबी 89.77% है; पीसीएम 89.19% है।

2.4. लड़कियों के लिए रियायत:

कट ऑफ में 1% की रियायत लड़कियों को निम्न पाठ्यक्रमों के लिए दी जाएगी:

1. बी.ए. (एच) अर्थशास्त्र
2. बी.ए. (एच) हिंदी
3. बी.ए. (एच) इतिहास
4. बी.ए. (एच) राजनीति विज्ञान
5. बी.ए. (एच) संस्कृत
6. बी.ए. बीए (प्रोग्राम)
7. बीकॉम (एच)
8. बीएससी (एच) इलेक्ट्रॉनिक्स
9. बीएससी (एच) गणित
10. बीएससी (एच) भौतिकी
11. बीएससी (एच) कैमिस्ट्री
12. बीएससी (प्रोग्राम) रसायन विज्ञान के साथ
13. बीएससी (प्रोग्राम) कंप्यूटर विज्ञान के साथ
14. बीएससी (प्रोग) इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ
15. बीएससी (व्यावहारिक) औद्योगिक रसायन विज्ञान के साथ

2.5. ग्रेड रूपांतरण [एसी प्रस्ताव सं 319, दि. 1976/03/22 के अनुसार]:

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य के लिए कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट / मलयालम / ओवरसीज / अफ्रीकी जी.सी.ई. / एक्सामिनेशन स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा और / या अमेरिकी दूतावास विद्यालय की 12 वीं कक्षा की परीक्षा, नई दिल्ली में दिए गए ग्रेड प्वाइंट औसत की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दिए गए अंकों के प्रतिशत के साथ फार्मूला / समतुल्यता।

ग्रेड	प्रत्येक ग्रेड का न्यूनतम%	ग्रेड	परिणामस्वरूप औसत प्रतिशत
1	90	A	90
2	75	B	75
3	66	C	60
4	61	D	40
5	57	E	30
6	51	F	विफल
7	47		
8	40		
9			विफल

1. आईबी छात्रों (आईबी ग्रेड से मार्क स्कीम) के लिए प्रवेश

ग्रेड	भारतीय समतुल्य अंक	
	से	तक

7	96	100
6	83	95
5	70	82
4	56	69
3	41	55
2	21	40
1	1	20

2. विश्वविद्यालय में कैम्ब्रिज (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा) छात्रों के लिए प्रवेश

ग्रेड	प्रतिशत यूनिफ़ॉर्म मार्क रेंज	कैम्ब्रिज ग्रेड के रूप में	प्रतिशत यूनिफ़ॉर्म मार्क रेंज
	90-100 (मिडपॉइंट 95)	95	
	80-8 9 (मिडपॉइंट 85)	A B	80-100 (मिडपॉइंट 90)
	70-79 (मिडपॉइंट 75)	CD	70-79 (मिडपॉइंट 75)
	60-69 (मिडपॉइंट 65)	E	60-69 (मिडपॉइंट 65)
	50-59 (मिडपॉइंट 55)		50-59 (मिडपॉइंट 55)
	40-49 (मिडपॉइंट 45)		40-49 (मिडपॉइंट 45)

अतिरिक्त जानकारी:

* जहां भी जी.सी.ई. प्रमाणपत्र ग्रेड इंगित करता है; उसे भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के ग्रेड के समकक्ष माना जाएगा प्रवेश के प्रयोजनों हेतु (ग्रेड रूपांतरण देखें)

* ऑनर्स कोर्स में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों ने उन्नत स्तर पर उस विषय में पास होना चाहिए। भूविज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी आनोंर्स पाठ्यक्रम के लिए, उम्मीदवार ने भौतिकी / रसायन विज्ञान / गणित / जीवविज्ञान के उन्नत स्तर पर एक विज्ञान विषय पास किया होना चाहिए।

* भौतिकी / रसायन विज्ञान में ऑनर्स कोर्स में प्रवेश करने वाले उम्मीदवार को: गणित और अतिरिक्त आर्डिनरी लेवल पर उन्नत स्तर पर कम से कम इनमे से एक विषय (1) शुद्ध गणित (2) एप्लाइड गणित (3) गणित (शुद्ध और व्यावहारिक) और (4) साथ ही, गणित या अतिरिक्त गणित सामान्य स्तर पर गणित और एक विषय उन्नत स्तर पर।

जिन छात्रों ने क्वालीफाइंग परीक्षा उत्तीर्ण की है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में नियमित कॉलेजों में प्रवेश चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आवश्यकताएं यहां संक्षेप में दी गई हैं:

नोट: यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ अलग-अलग विषयों के प्रतिशत अंक घोषित करता है, तो अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।

2.6 आरक्षण और रिलेक्सेशंस

2.6.1. अनुसूचित जाति / जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण

• कुल सीटों के 22%% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, आवश्यकता पड़ने पर अंतर्बदल हो सकता है,) के लिए आरक्षित हैं।

• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना कॉलेजों का एक वैधानिक दायित्व है।

• कॉलेज शिक्षा के भाषा माध्यम के आधार पर किसी भी एससी / एसटी उम्मीदवार को प्रवेश से इंकार नहीं करेगा। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी कमी को दूर किया जाना चाहिए, उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से जिन्हें अनुदान के उपयोग से व्यवस्थित किया जा सकता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध हैं।

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक में 5% की सीमा तक छूट दी जाएगी ताकि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनकी योग्यता और श्रेष्टता का निर्धारण किया जा सके।

• यदि 5% छूट देने के बाद भी , आरक्षित सीटें खाली रहती हैं, तब सभी आरक्षित सीटें भरने के लिए आवश्यक सीमा तक आगे छूट दी जाएगी। (एसी प्रस्ताव A88, 14.6.1983) (EC प्रस्ताव 157, 24121.2001)। इन मामलों में योग्यता पास प्रतिशत है।

नोटः खुली योग्यता के तहत प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षित कोटा में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात 22.5% में नहीं गिने जायेंगे

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को अपने नाम पर प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2.6.2 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटों का आरक्षण

• ओबीसी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 27% सीट आरक्षित हैं।

• ओबीसी उम्मीदवार को प्रवेश देने के समय, कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल है। प्रमाण पत्र में उम्मीदवार के नॉन-क्रीमी लेयर की स्थिति का उल्लेख करना चाहिए;

• ओबीसी उम्मीदवारों को न्यूनतम पात्रता में 10% छूट दी जाएगी और प्रवेश परीक्षा में सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता के अंकों का 10% होगा।
• ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना कॉलेज का एक वैधानिक दायित्व है।

• कॉलेज शिक्षा के भाषा माध्यम के आधार पर किसी भी ओबीसी उम्मीदवार को प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी कमी को दूर किआ जाना चाहिए, उपचारात्मक कक्षाएं जिन्हें अनुदान के उपयोग से व्यवस्थित किया जा सकता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध हैं।
• यदि न्यूनतम पात्रता पर पहुंचने के बाद ओबीसी के लिए सीटें खाली रह जाएंगी, तो इसे अन्य योग्य उम्मीदवारों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा विश्वविद्यालय से अनुमोदन के अधीन हैं।

नोट: सामान्य श्रेणी के सीटों के लिए योग्यता सूची में योग्यता के क्रम में सभी उम्मीदवार शामिल होंगे। किसी को भी उसी से बाहर रखा जाएगा दूसरे शब्दों में, यह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों में शामिल होगा, यदि वे सामान्य योग्यता में आते हैं। उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी मेरिट सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के तहत और साथ ही आरक्षित श्रेणी के तहत विचार किया जा सकता है। सामान्य सीटों के लिए प्रवेश एससी / एसटी / ओबीसी उम्मीदवारों को शामिल करते हुए योग्यता के क्रम में होगा।

2.6.3. विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (पीडब्ल्यूडी)

सभी स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों (पेशेवर और तकनीकी संस्थानों सहित) में तीन प्रतिशत (3%) सीटें न्यूनतम 40% शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के संबंध में शुल्क में रियायत / छूट

1. विश्वविद्यालय के अध्यादेश X (4) में संशोधन के बाद, निम्नलिखित प्रावधान किया गया है कि अध्यादेश के अध्यादेश एक्स (4) के उपखंड 2 के बाद:

"बशर्ते कि शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को विश्वविद्यालय या इसके कॉलेजों में अन्य पाठ्यक्रम पढने के लिए परीक्षा शुल्क और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क सहित सभी फीस छूट दी जाएंगी, जिनमें प्रवेश शुल्क, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स यूनियन के लिए सदस्यता और अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए पहचान पत्र शुल्क शामिल नहीं हैं"

2. उपर्युक्त के अनुसरण में, संकाय, विभागों, केंद्रों और विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले शारीरिक विकलांग छात्रों को परीक्षा फीस और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क सहित फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी जिनमें प्रवेश शुल्क, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स यूनियन के लिए सदस्यता और अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए पहचान पत्र शुल्क शामिल नहीं हैं।

3. कार्यकारी परिषद के संकल्प सं 50 दिनांक 03.11.2012 के अनुपालन में, यह अधिसूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों / हॉल में रहने वाले शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों को सभी हॉस्टल फीस और शुल्कों के भुगतान से छूट दी गई है, जिसमें रिफंडेबल काशन शुल्क और मेस फीस शामिल नहीं हैं। शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों को मैस फीस का 50% और पीडब्ल्यूडी छात्रों के संबंध में मैस फीस के शेष 50% का भुगतान विश्वविद्यालय को करना होगा। महाविद्यालयों के विभिन्न हॉस्टलों में रहने वाले पीडब्ल्यूडी छात्रों के संबंध में कॉलेजों द्वारा इसी तरह के नियमों को अपनाया जाएगा।
यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन पीडब्ल्यूडी छात्रों को फेलोशिप / वित्तीय सहायता मिल रही है, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन फीस / शुल्कों / मेस शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी:

फैलोशिप का मूल्य	शुल्क माफी की छूट, आदि
रु 3000 / - प्रति माह तक	फीस छूट + 50% मेस सब्सिडी
रु 3001 से 8000 प्रति माह	फीस छूट लेकिन कोई मेस सब्सिडी नहीं
रु 8001 प्रति माह और उससे ऊपर	कोई फीस छूट और कोई हॉस्टल सब्सिडी नहीं

सभी पात्र एससी / एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जिन छात्रों को किसी भी कॉलेज / विभाग में प्रवेश लेते हैं, उन्हें प्रसंस्करण के लिए फरवरी तक उनके छात्रवृत्ति फॉर्म को प्रस्तुत करना चाहिए।

सशस्त्र बलों कार्मिक के बच्चों/विधवाओं (सीडब्ल्यू) की प्रवेश अनुसूची

निम्नलिखित अनुसूची (भाग 9.4 की श्रेणियों की परिभाषा के लिए देखें) अधिकारियों के बच्चों / विधवाओं और सशस्त्र बलों के पुरुषों के पैरा-मिलिट्री कार्मिक सहित, लड़ाई में वीरगति / विकलांग, या जो मारे गए / लड़ाई में विकलांग हुए, शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता, अकादमिक सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम 2017-18 में प्रवेश के लिए:

ऑनलाइन पंजीकरण	22.05.2017 से 12.06.2017 (सभी श्रेणियों पर लागू अनुसूची के अनुसार)
श्रेणी I	
दस्तावेजों की सत्यापन	16.06.2017 (शुक्रवार) और 17.06.2017 (शनिवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे।
अस्थायी प्रवेश पर्ची जारी	20.06.2017 (मंगलवार)
महाविद्यालय द्वारा प्रवेश * #	20.06.2017 (मंगलवार) से 22.06.2017 (गुरुवार)
श्रेणी II	
दस्तावेजों का सत्यापन	23.06.2017 (शुक्रवार) से 24.06.2017 (शनिवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे।
अस्थायी प्रवेश पर्ची जारी	27.06.2017 (मंगलवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे।
कॉलेज द्वारा प्रवेश * #	27.06.2017 (मंगलवार) से 28.06.2017 (बुधवार)
श्रेणी III	
दस्तावेजों की सत्यापन	29.06.2017 (गुरुवार) से 30.06.2017 (शुक्रवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे।
अस्थायी प्रवेश स्लीप जारी	03.07.2017 (सोमवार) का समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे तक
महाविद्यालय द्वारा प्रवेश * #	03.07.2017 (सोमवार) से 04.07.2017 (मंगलवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे।
श्रेणी IV	
दस्तावेजों का सत्यापन	05.07.2017 (बुधवार) से 06.07.2017 (गुरुवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे

अस्थायी प्रवेश स्लीप	08.07.2017 (शनिवार) का मुद्दा, समय: सुबह 10.00 बजे से 1.00 बजे तक
कॉलेज द्वारा प्रवेश * #	08.07.2017 (शनिवार) से 10.07.2017 (सोमवार)
श्रेणी V	
दस्तावेजों की सत्यापन	11.07.2017 (मंगलवार) से 12.07.2017 (बुधवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे तक
अस्थायी प्रवेश स्लीप	14.07.2017 (शुक्रवार) का समय, समय: सुबह 10.00 बजे से 1.00 बजे तक
महाविद्यालय द्वारा प्रवेश * #	14.07.2017 (शुक्रवार) से 15.07.2017 (शनिवार)
उन आवेदकों को जिन्होंने उपरोक्त तारीखों पर दाखिले के लिए रिपोर्ट नहीं किया है, सीटों की उपलब्धता अधीन, दस्तावेजों के सत्यापन और अस्थायी प्रवेश स्लीप जारी	17.07.2017 (सोमवार) समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे
अस्थायी प्रवेश स्लीप	18.07.2017 (मंगलवार) का समय: 10.00 बजे से 1.00 बजे तक
कॉलेज द्वारा प्रवेश * #	18.07.2017 (मंगलवार) से 1 9। 07.2017 (बुधवार)

नोट: दस्तावेजों का सत्यापन और अस्थायी प्रवेश स्लिप जारी होगी, सम्मेलन केंद्र, बॉटनी विभाग के पास, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -07

* मॉर्निंग कॉलेज: 09.30 से 01:30 अपराह्न तक; इवनिंग कॉलेज: 04:00 बजे से शाम 07 बजे तक

प्रवेश के बाद, आवेदक को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान करने के लिए स्नातक प्रवेश पोर्टल पर लाग ऑन करना होगा। यह दी गई प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के अगले दिन के 12:00 दोपहर तक किया जा सकता है।

प्रारूप
(सही सरनामे पर)

कार्यालय .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी .... बेटा / बेटी है ..... (संख्या) .... का निवासी .... है

उपरोक्त नामित अधिकारी / जेसीओ / या .... i लड़ाई में मारे ..... दौरान ....
ii लड़ाई में अक्षम .....दौरान ....
iii सैन्य सेवाओं के लिए मौत के साथ ड्यूटी पर शांति समय में मारे गये
iv सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ कर्तव्य पर शांति समय में अक्षम
v वीरता पुरस्कार: ....

मास्टर / मिस। .... बेटे / बेटी की .... अधिकारी / जेसीओ / या दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राथमिकता संख्या के तहत सशस्त्र सेना वर्ग के एवाज़ में प्रवेश के लिए शैक्षिक रियायत के लिए पात्र हैं।

.... अधिकारी संख्या: .... तारीख:। ....

(हस्ताक्षर)

नाम और पदनाम के साथ रबड़ का मोहर

2.6.5. कश्मीरी प्रवासियों के लिए पंजीकरण और छूट

1. कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्ड जो यूनिवर्सिटी के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए इक्छुक हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
2. कश्मीरी प्रवासियों के वार्ड के लिए सभी कॉलेजों में 5% तक की सीट आरक्षित है।
3. कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्डों को विभागीय आयुक्त / राहत आयुक्त द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासियों के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
4. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम कट-ऑफ अंकों में अधिकतम 10% की रियायत कश्मीरी प्रवासियों को दी जाएगी।
5. कश्मीरी प्रवासियों के वार्डों का प्रवेश कॉलेजों द्वारा घोषित करने के लिए कटऑफ पर आधारित होगा। (जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों को सीधे कॉलेजों में भर्ती कराया जाएगा)

2.6.6. विदेशी छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण

भारतीय बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले सभी विदेशी छात्र भी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में पंजीकरण / प्रवेश के लिए विदेशी छात्रों के रूप में माना जा सकता है और उन्हें 5% कोटा के तहत प्रवेश के लिए माना जा सकता है। कॉलेज / विभागों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश फार्म में राष्ट्रीयता का एक मद बनाए रखें। अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इक्छुक विदेशी उम्मीदवारों को उप-डीन (विदेशी छात्र), सम्मेलन केंद्र, दिल्ली -110007 विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहिए। ईमेल: fsr_du@yahoo.com

2.6.7. खेल / ईसीए कोटा

सभी कॉलेजों के लिए खेल सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है और पाठ्यक्रमेतर प्रतियोगिताओं और सामूहिक खेल गतिविधियां आयोजित करके सभी छात्रों को खेल और अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

कम से कम 5% खेल / ईसीए कोटा (विषय-वार) के मौजूदा प्रावधान को जारी रखा जाना चाहिए। कॉलेजों को उपलब्ध सुविधाओं, कॉलेज और अन्य प्रासंगिक कारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, खेल आधार पर (5% से अधिक नहीं) भरने वाले सीटों की वास्तविक संख्या तय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

खेल / ईसीए श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दिशानिर्देश समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

पाठ्यक्रमेतर कार्यकलापों के तहत प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

कॉलेज अपनी वेबसाइट, सूचना पटल और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ईसीए कोटा (स्थिर संख्या से अतिरिक्त) और विभिन्न श्रेणियों में आवश्यकता के तहत सीटों की वास्तविक संख्या को सूचित करेंगे।

प्रारंभिक और अंतिम परीक्षणों की तारीखों को कॉलेजों की वेबसाइट, सूचना बोर्ड और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

सभी संबंधित महाविद्यालय पाठ्यक्रमेतर क्रियाकलापों (ईसीए) के आधार पर विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

1. ईसीए श्रेणी के तहत प्रवेश लेने वाले आवेदक डीयू प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे।
2. पंजीकरण के लिए शुल्क रु 100 होगा। (यूआर / ओबीसी / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी) पंजीकरण के लिए शुल्क के अतिरिक्त होगा
3. आवेदकों को 22 जनवरी 2014 से 21 मई 2017 के बाद जारी किए गए प्रत्येक गतिविधि में केवल एक प्रमाण पत्र (अधिमानतः सर्वोच्च उपलब्धि एक) अपलोड करना होगा, जो वे प्रासंगिक गतिविधि में उनकी भागीदारी के प्रमाण के रूप में सम्मलित करना चाहते हैं। अंतिम परीक्षणों के लिए उन्हें चुने जाने के मामले में उन्हें मूल्यांकन के लिए सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र लेना चाहिए।
4. परीक्षण दो स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे: (i) प्रारंभिक परीक्षण (ii) अंतिम परीक्षण
5. आवेदक को एक घटना में केवल एक बार प्रारंभिक परीक्षणों में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे मौके के लिए कोई भी अनुरोध अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. विशिष्ट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी आवेदकों (अंतिम प्रासंगिक कट ऑफ) के लिए शैक्षिक योग्यता में 15% से अधिक रियायत दी जा सकती है (कार्यक्रम की न्यूनतम पात्रता के अधीन)।
7. प्रारंभिक / अंतिम परीक्षणों की तारीख / तिथि अधिसूचित और विश्वविद्यालय की वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।
8. अंतिम परीक्षणों के लिए शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों की सूची को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और ईसीए गतिविधि परीक्षण आयोजित करने वाले कॉलेज की वेबसाइट और सूचना बोर्ड।
9. प्रमाण पत्र का मूल्यांकन केवल उन छात्रों के लिए किया जाएगा जो अंतिम परीक्षण के लिए योग्य हैं। अंतिम परीक्षण के समय में मूल्यांकन के लिए उन्हें मूल (और एक स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी) में सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र लेना होगा
10. अंतिम परीक्षण में महत्त्व निम्नलिखित परीक्षणों में परीक्षण और प्रमाण पत्र को दिया जाएगा: परीक्षण: 75%, प्रमाण पत्र: 25%।
11. चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची के पात्र होने के लिए आवेदक को अंतिम परीक्षण (कम से कम 75 में से 38) में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।
12. महाविद्यालय प्रारंभिक और अंतिम परीक्षणों को वीडियोग्राफ़ करेगा और रिकॉर्डिंग को संरक्षित करेगा।
13. ईसीए श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए परीक्षण ईसीए प्रवेश समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा।
ईसीए श्रेणी में विशेषज्ञों की निम्नलिखित रचना की सिफारिश की है:

क. प्रिंसिपल / प्रिंसिपल नोमिनी
ख. दो विशेषज्ञ (यूनिवर्सिटी कल्चर काउंसिल द्वारा नामित किए जाने के लिए) - प्रतिष्ठित संस्थानों से सांस्कृतिक क्षेत्र से आबादी वाले लोग जैसे:
   - ड्रामा के राष्ट्रीय स्कूल
   - कला प्रदर्शन के लिए श्री राम केंद्र
   - संगीत और ललित कला के संकाय

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
- कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स
- संगीत नाटक अकादमी
- साहित्य कला परिषद
- अखिल भारतीय रेडियो / दूरदर्शन ('ए' ग्रेड कलाकार) आदि
- संबंधित क्षेत्र में विश्वविद्यालय के भाई-बहनों के विशेषज्ञ

संबंधित क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों / चिकित्सक

ग. विश्वविद्यालय सांस्कृतिक परिषद के नामांकित व्यक्ति

घ. कॉलेज सांस्कृतिक परिषद के संयोजक / नामांकित व्यक्ति

इसलिए गठित समिति को न केवल संबंधित सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए बल्कि विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक अवस्था और इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को भी समझना चाहिए।

निर्देश

1. कार्यक्रम का आबंटन / योग्य आवेदकों के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप होगा और यह कॉलेज की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
2. अंतिम सूची में चयनित होना आवेदक के प्रवेश की गारंटी नहीं है। प्रवेश कॉलेज में सीटें उपलब्धता के अधीन है।
3. कार्यक्रम / विषय के आवंटन को ईसीए प्रवेश समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है जिसमें अध्यक्ष (प्रिंसिपल), ईसीए / सांस्कृतिक समिति के सदस्यों और स्टाफ परिषद द्वारा नामांकित एक संकाय सदस्य शामिल होंगे।

4. ईसीए प्रमाण पत्र और ट्रायल के लिए दिए गए अंक, चयनित आवेदकों की अंतिम सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदकों को शिकायतें, यदि कोई हो, का संज्ञान लेने के लिए तीन दिनों के लिए सभी शिकायतों का समाधान तीन दिनों के भीतर किया जाएगा।
5. कोई भी शिकायत रखने वाले आवेदक को केन्द्रीय शिकायत समिति या कॉलेज शिकायत के लिए आवेदन करना चाहिए
6. आवेदकों को कि अनुसूची के अनुसार अपनी पसंद के कॉलेजों में रजिस्टर होने के बारे में सूचित किया जाएगा ।

7. फाइनल के बाद प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की योग्यता सूची संबंधित कॉलेज वेबसाइट और सूचना बोर्ड और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। इसके बाद आवेदकों का प्रवेश विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर पूरा किया जाएगा।
8. अंतिम अंकों (100 में से) टाई के मामले में, परीक्षा में उच्च अंक वाले उम्मीदवार (75 में से) को योग्यता सूची में उच्च रखा जाएगा। टाई के मामले में भी, दोनों उम्मीदवारों की रैंक बराबर होगी।
9. कॉलेज की ईसीए प्रवेश समिति आवेदकों के मूल ईसीए प्रमाण पत्र की पुष्टि करेगी।

10. चयनित अभ्यर्थियों ने प्रवेश के समय एक उपक्रम प्रस्तुत किया होगा जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी अध्ययन के उम्मीदवार के स्नातक कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए अपनी छमता का प्रदर्शन करेंगे। कॉलेज को उनके प्रवेश को रद्द करने का अधिकार है यदि वे कॉलेज में रहने के दौरान इस उपक्रम का उल्लंघन करते हैं।
11. किसी भी उम्मीदवार को झूठे / नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए किसी भी कॉलेज में किसी भी कार्यक्रम में तीन साल के लिए प्रवेश से रोक दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार झूठे / नकली प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश करता है तो उसका प्रवेश न केवल प्रवेश रद्द किया जाएगा, एफआईआर भी पंजीकृत कि जा सकती है।
12. महाविद्यालय ईसीए के आधार पर भर्ती कराए गए अभ्यर्थियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा।
13. ईसीए प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम होगा।

ईसीए के लिए प्रवेश समिति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों को मंजूरी दी गई है।

क्र.सं.	वर्ग	क्रियाएँ	उप श्रेणियों
I	संस्कृति	1. रचनात्मक लेखन	1.1 रचनात्मक लेखन: हिंदी
			1.2 रचनात्मक लेखन: अंग्रेजी
		2. नृत्य	2.1 भारतीय शास्त्रीय
			2.2 भारतीय लोक
			2.3 पश्चिमी
			2.4 कोरियोग्राफी
		3. बहस	3.1 बहस: हिंदी
			3.2 बहस: अंग्रेजी
		4. डिजिटल मीडिया	4.1 अभी भी फोटोग्राफी
			4.2 फिल्म बनाना
			4.3 एनिमेशन
		5. ललित कला	5.1 स्केचिंग और पेंटिंग
			5.2 मूर्तिकला
		6. संगीत (इंस्ट्रुमेंटल)	6.1 भारतीय गायन (शास्त्रीय, लाइट और लोक)
			6.2 पश्चिमी (शास्त्रीय और प्रकाश)
		7. थियेटर	7.1 इंडियन इंस्ट्रुमेंटल
			7.2 पश्चिमी वाद्य यंत्र
		9. प्रश्नोत्तरी	
		10. अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए धर्मशास्त्र*	
II	एनसीसी	एनसीसी	
III	एनएसएस	एनएसएस	

* निम्न अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश के लिए लागू:

1. माता सुंदरि कॉलेज

2. श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज

3. श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज

4. श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स

प्रासंगिक जानकारी के लिए कॉलेज की वेबसाइट / प्रॉस्पेक्टस देखें

कॉलेजों को खेल कोटा (उच्चतम संख्या के अतिरिक्त) के अंतर्गत सीटों की वास्तविक संख्या और अलग-अलग खेल / खेल में खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी कॉलेज की वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर संबंधित स्थिति / खेल के साथ-साथ अग्रिम सूचनाओं को सूचित करना होगा। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अधिसूचित किया जाएगा।

I. सुपर श्रेणी: खेल परीक्षण के बिना प्रत्यक्ष प्रवेश

निम्नलिखित व्यक्तियों में भाग लेने वाले / देश के प्रतिनिधित्व वाले खेल व्यक्ति:

क. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों

ख. अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत विश्व चैंपियनशिप (आईओए और / या MYAS ने मान्यता प्राप्त / संबद्ध गेम)

ग. एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा एशियाई खेलों

घ. अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के तहत एशियाई चैंपियनशिप (आईओए और / या MYAS मान्यता प्राप्त / संबद्ध खेलों) ई। राष्ट्रमंडल खेलों, एसए.एफ. खेल और एफ्रो-एशियाई खेलों (आईओए और / या MYAS को मान्यता प्राप्त / संबद्ध खेल) च। पैरालम्पिक गेम्स (आईओसी / आईओए और / या MYAS ने मान्यता प्राप्त / संबद्ध गेम)

II खेल परीक्षण के माध्यम से प्रवेश

क. अधिकतम 50 अंक खेल प्रमाणपत्र के लिए हैं (चार्ट संलग्न है)

ख. उम्मीदवार के लिए तीरंदाज़ी, शतरंज और शूटिंग में प्रवेश के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य परीक्षण आइटमों में से किसी एक को अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, और अन्य खेलों / खेल में प्रवेश के लिए के लिए निम्नलिखित दो फिटनेस टेस्ट आइटम शामिल हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक:

1	शक्ति	ब्रॉड जंप स्टैंड 1.65 मीटर पुरुषों के लिए 1.15 मीटर महिलाओं के लिए	तीन प्रयासों की अनुमति
2	सहनशीलता	1000 मीटर दौड़/ चलना 5.00 मिनट पुरुषों के लिए 6.00 मिनट महिलाओं के लिए	एक प्रयास की अनुमति
3	गति	50 मीटर दौड़ 8.00 सेकंड पुरुषों के लिए 9.00 सेकंड महिलाओं के लिए	एक प्रयास की अनुमति

i. दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स काउंसिल (डीयूएससी) द्वारा इंगित विशेष खेल / खेलों के लिए कॉलेजों में फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स ट्रायल्स आयोजित कराया जाएगा। उम्मीदवारों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की गई सूचनाओं को उनकी वेबसाइट माध्यम से जानना होगा।

ii. अगर इंगित किये गए किसी कॉलेज में किसी खेल / गेम के लिए फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स ट्रायल्स आयोजित कराने के लिए कॉलेजों में सुविधा नहीं है तो इसकी अग्रिम सूचना देकर डीयूएससी से संपर्क कर सकते हैं।

iii. यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक स्पोर्ट्स / गेम चुना है और किसी भी कॉलेज में फिटनेस टेस्ट के लिए योग्यता प्राप्त की है तो उसे एक विशेष प्रारूप में संबंधित कॉलेज द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। यह प्रमाण पत्र अन्य महाविद्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

iv. फिटनेस टेस्ट स्क्रीनिंग / मूल्यांकन वर्ग की बाद की प्रक्रिया के लिए क्वालीफाइंग टेस्ट है
बारहवीं कक्षा के दस्तावेज, खेल प्रमाण पत्र और स्पोर्ट्स ट्रायल्स का अंकन और खेल के आधार पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार को हकदार नहीं बनाते।

ग. कॉलेजों को फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स ट्रायल्स के वीडियो-ग्राफ़ करानी चाहिए।

घ. अधिकतम 50 अंक खेल परीक्षण के लिए हैं जिसमें कौशल परीक्षण, खेल प्रदर्शन परीक्षण, खेल विशिष्ट फिटनेस, गेम / खेल आदि के बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं।

i. स्पोर्ट्स के आधार पर प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 अंक खेल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है।

ii. मूल्यांकन और अंकन खेल प्रवेश समिति के तकनीकी घटकों द्वारा किया जाएगा।

.

E. डीएससी द्वारा पहचाने जाने वाले विशिष्ट खेल (खेलों) / खेल (खेलों) के लिए खेल प्रवेश समिति की रचना:

i. अध्यक्ष: प्रिंसिपल

ii. संयोजक: शिक्षक प्रभारी, विभाग शारीरिक शिक्षा का

iii. सदस्य (यों) के रूप में शारीरिक शिक्षा शिक्षक (कों)

iv. डीयूएससी द्वारा भेजी गोपनीय सूची से अध्यक्ष (प्रिंसिपल) द्वारा नामित विशेषज्ञ / (यों)

v. दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिषद के नामांकित व्यक्ति

vi. कुलपति के रूप में एक अभ्यर्थी (पर्यवेक्षक के रूप में)

समिति सहायता के लिए एक / दो नियमित पढ़ रहे छात्र / छात्र (पुरुष / स्त्री) को चुन सकती है।

ध्यान दें:

1. पाठ्यक्रम के आवंटन / योग्य उम्मीदवारों के अनुसार विश्वविद्यालय नियमों के अनुरूप होगा और यह कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी होगी।

2. पाठ्यक्रम / विषय के आबंटन को खेल प्रवेश समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है जिसमें अध्यक्ष (प्रधानाचार्य), संयोजक (शिक्षक प्रभारी, शारीरिक शिक्षा विभाग), शारीरिक शिक्षा अध्यापक (सदस्य) के रूप में सदस्य और कर्मचारी परिषद द्वारा नामांकित एक संकाय सदस्य होगा

3. अंतत: चयनित उम्मीदवारों की सूची जिसमें खेल प्रमाणपत्र और खेल परीक्षण के अंक शामिल हैं, पाठ्यक्रम / विषय आवंटित किए गए हैं, कॉलेज वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर तीन दिनों के लिए शिकायतें, यदि कोई हो, का संज्ञान लेने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों को स्वीकार करने से पहले सभी शिकायतें अगले तीन दिनों में हल होनी चाहिए।

4. शिकायत रखने वाले उम्मीदवार को कॉलेज के शिकायत समिति को आवेदन करना चाहिए। हर कॉलेज की अपनी शिकायत समिति होगी, जिसके बारे में जानकारी कॉलेज के सूचना बोर्ड / वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

5. कॉलेज, खेल/गेम पोजीशन / प्रतियोगिता आदि के संबंध में कॉलेज द्वारा खेल के आधार पर प्रवेश का विवरण उनकी कॉलेज की वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर अधिसूचित किया जाना चाहिए।

6. कॉलेज की स्पोर्ट्स एडमिशन कमेटी

क. उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए एप्लिकेशन / फ़ॉर्म को स्क्रीन करें

ख. डीयूएससी द्वारा आवंटित अंकों के अनुसार उम्मीदवारों के मूल खेल प्रमाण पत्र की पुष्टि करें

7. झूठे / नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में तीन साल के लिए प्रवेश से रोक दिया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार का फर्जी / नकली प्रमाणपत्र द्वारा प्रवेश पाता है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे मामलों को सभी कॉलेजों को सूचित किया जाएगा।

8. खेल / खेल में उम्मीदवारों की योग्यता का स्तर केवल उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने खेल / गेम में पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल / गेम में विशिष्टता हासिल कि है, जो एआईयू और आईओए द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन खेल / गेम्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर-कॉलेज और अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं / टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे।

9. प्रमाण पत्र से विशिष्टता का स्तर 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2016 तक निर्धारित किया जाएगा।

10. कॉलेज अपने संबंधित कॉलेज में खेल के आधार पर भर्ती कराए गए अभ्यर्थियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

11. उम्मीदवार अपनी उम्र के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं / टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और कभी भी अंशकालिक / पूर्ण कालिक नियुक्त नहीं होना चाहिए।
12. चयनित खिलाड़ियों द्वारा प्रवेश के समय रु 100/- के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक परिवचन प्रस्तुत करना अनिवार्य है ये कहते हुए कि वे अपने अंडर ग्रेजुएट के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए खेलेंगे।

परिपत्र सं. एसीए. I / स्पोर्ट्स / 2010-2011 / 178 के अनुसार दिनांक 2 9 मई, 2010; कॉलेज ने 5% से अधिक खेल और ईसीए कोटा के लिए प्रावधान नहीं किया है इनमें से 3% और इसीलिए 2 9 सीटों से अधिक ईसीए कोटा में नहीं है, और ये एथलेटिक्स (लड़कों और लड़कियों), बैडमिंटन (लड़कों और लड़कियों), गेंद बैडमिंटन (लड़कियों), क्रिकेट (लड़कों) फुटबॉल (लड़कों), वॉलीबॉल (लड़के) और हैंडबाल (लड़कों) जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रवेश के बीच विभाजित किया जायेंगे।
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कौंसिल

सर्टिफिकेट मार्किंग कैरेक्टरिया में अधिकतम 50 अंक

वर्ग	प्रतियोगिता / टूर्नामेंट स्तर	प्रमाणपत्र स्रोत	प्रमाणपत्र अंकन मानदंड 50 अंक (अधिकतम) स्थिति भागीदारी 1st 2nd 3rd भागीदारी	केवल चित्रण के लिए	प्रथम, द्वितीय तृतीय सहभागिता लिए स्कोर की श्रेणी,
A	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित व्यक्तिगत प्रदर्शन/ टीम कार्यक्रम/ (मों)में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल मंत्रालय / खेल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व	खेल / खेल का संघ युवा कार्य और खेल मंत्रालय / राष्ट्रीय संघ / संबंधित खेल / बोर्ड	48 46 44 40	सभी 3 वर्ष 2 अंक सिर्फ 2 वर्ष 1 अंक	50.49.48 48.47.46 46.45.44 42.41.40
B	विभिन्न महासंघों द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ / जूनियर राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों / फेडरेशन कप चैम्पियनशिप / अन्य टूर्नामेंट में व्यक्तिगत प्रदर्शन/ टीम कार्यक्रम/ 19 से कम के तहत राष्ट्रीय स्कूल खेलों में भागीदारी और स्थान	राष्ट्रीय संघ / संबंधित खेल / एस.जी.एफ.आई. बोर्ड	40 38 36 32	सभी 3 वर्ष 2 अंक सिर्फ 2 वर्ष 1 अंक	42.41.40 40.39.38 38.37.36 34.33.32
C	महिला खेल महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्कूल खेलों के कार्यक्रम/ आयोजनो में व्यक्तिगत/ टीम मे स्थिति और भागीदारी	नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन/संबंधित राज्यों के शिक्षा निदेशालय / एमआईएएस/साई	32 30 28 24	सभी 3 वर्ष 2 अंक सिर्फ 2 वर्ष 1 अंक	34.33.32 32.31.30 30.29.28 26.25.24
D	ऑल इंडिया ग्रामीण खेल /	संबद्ध राज्य बोर्ड /	24 22 20 16	सभी 3 2 अंक	26.25.24

	सीबीएसई नेशनल में व्यक्तिगत / टीम कार्यक्रम/ (मों) में स्थिति और भागीदारी	एमआईएएस / साई		वर्ष सिर्फ 2 वर्ष	1 अंक	24.23.22 22.21.20 18.17.16
E	आईसीएसई / केवीएस / आईपीएससी राष्ट्रीय / इंटर जोनल चैंपियनशिप / बी डिविजन लीग / स्टेट चैंपियनशिप / इंटर जिला टूर्नामेंट / ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल नेशनल / विद्या भारती / वाईएमसीए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान और भागीदारी	सभी राज्य बोर्ड, शिक्षा और राज्य संघ के निदेशक	16 14 12 8	सभी 3 वर्ष सिर्फ 2 वर्ष	2 अंक 1 अंक	18.17.16 16.15.14 14.13.12 10.9.8
F	क्षेत्रीय स्तर / सीबीएसई क्षेत्रीय / सैनिक स्कूल / केवीएस क्षेत्रीय / इंटर ब्लॉक ग्रामीण स्पोर्ट्स / अन्य स्कूल बोर्ड क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर संगठित विद्यालय टूर्नामेंट (उदाहरण, इंटर डीएवी राष्ट्रीय राष्ट्रीय / इंटर डी पी एस / जी एच एच पी एस) में स्थिति और भागीदारी	स्कूल प्रबंधन समिति / उप सभापति द्वारा आयोजित संबंधित जिले की शिक्षा निदेशक और सीबीएसई अधिकारी / पर्यवेक्षक / भारतीय खेल प्राधिकरण	8 6 4 पात्र नहीं	सभी 3 वर्ष सिर्फ 2 वर्ष	2 अंक 1 अंक	10.9.8 8.7.6 6.5.4

ध्यान दें

• उपर्युक्त के अतिरिक्त, अगर उम्मीदवार ने दो साल के लिए उपर्युक्त टूर्नामेंट में खेले हैं, तो उसे 1 अतिरिक्त अंक मिलते हैं और अगर उम्मीदवार तीन साल तक खेल चुके हैं, तो उसे 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं।
• खेल के आधार पर प्रवेश के लिए केवल पिछले तीन सालों का प्रमाण पत्र माना जाएगा।
• उम्मीदवार को प्रमाण पत्र के स्वयं-साक्षांकित प्रतियां अपलोड करना होगा।

2.7 शुल्क संरचना:

2017-2018 के सत्र के लिए शुल्क मद सूची

रखरखाव फंड:

1	प्रवेश शुल्क	प्रशाशनिक	5.00	2 ट्यूशन	ट्यूशन शुल्क	90.00
3	कॉलेज पत्रिका शुल्क	सी मैग	100.00	4 लाइब्रेरी और रीडिंग रूम	लिब	600.00
5	मेडिकल	मेड	25.00	6 बागवानी	गर्द	50.00

7 पहचान कार्ड शुल्क	I. कार्ड	30.00	8 जुर्माना / विलंब विशेष बोनिफाइड पुस्तकालय	एफ.एल.बी.एल.	--
9 विज्ञान प्रयोगशाला	विज्ञान लैब	20.00	10 साइंस लैब ब्रेकैप प्रभार	एस.एल.बी.एच.एच	--
11 विलंब शुल्क	ल.शु. जुर्माना	- -	12 यौन उत्पीड़न विरोध नीति कोष	ए.ए.एस.एच.	10.00
43 डुप्लिकेट शुल्क रसीद	डीएफआर	- -			

छात्र फंड:

13 काशन मनी	कौ. म.	500.00	14 खेल और एथलेटिक्स	स्प.अथ.	200.00
15 पाठ्यक्रमेतर	एक्स.कर्र.	300.00	16 विषय समिति	वि. सम.	200.00
17 छात्र सहायता निधि शुल्क	छा.शु.	200.00	18 विकास निधि शुल्क	विकास शु.	60.00
19 स्टूडेंट यूनियन फंड	छा. संघ.	100.00	20 पुस्तक रिप्लेसमेंट	बी रीप्ल	10.00
21 विशेष वार्षिक फीस	एसपी	10.00	22 सामान्य सुविधाएं निधि	सा.सु.	2000.00
23 कंप्यूटर विज्ञान फंड	कॉम्प.कोष	2000.00	24 साइंस लैब विकास निधि	विज्ञा. लैब	800.00
25 कैम्पस सौंदर्यीकरण फंड	कैम.बीयू	500.00	26 डेवलपमेंट प्रभार	विकास प्रा.	2000.00
27 D.U. लाइब्रेरी विकास शुल्क	D.L.D.F	200.00	28 D.U. पुस्तकालय सुरक्षा	डी.एल.एस.एफ.	1000.00
30 विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	U.E.F.	200.00			
31 एनएसएस फंड	N.S.S.	20.00	32 W.D.C फंड	W.D.C.	20.00
33 एनसिसी फंड	N.C.C.	100.00	34 यूनि. एथलेटिक एसो. फीस	यूएएए	50.00
35 W.U.S. शुल्क	W.U.S.	5.00	36 यूनि.सांस्कृतिक परिषद शुल्क	यू.सी.सी.	5.00
37 D.U.S.U.	D.U.S.U	20.00	38 यूनि. विकास शुल्क	U.D.F.	600.00
39 यूनि. परीक्षा शुल्क	यू.ई.एफ.	---			
41 सेंट्रल प्लेसमेंट सेल	सी.पी.सी.	100.00	42 विदेशी छात्र		
44 पर्वतारोहण शुल्क	एम.टी.एफ.	50.00			

कुल:

क्र. संख्या	शुल्क	कोर्स
1	रु 10,150 / -	बी.ए. (प्रो) / बीए (ऑनर्स) / बीकॉम (ऑनर्स) / बीएससी (गणित)
2	रु 10 9 70 / -	सभी विज्ञान पाठ्यक्रम
3	रु 9,336 / -	सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

2.8 शुल्क रियायत और स्टिपेंड्स

कॉलेज नियमों के अनुसार जरूरतमंद, योग्य और योग्यता वाले छात्रों को वर्ष के दौरान एकत्रित कुल फीस के 20% की अधिकतम सीमा तक शुल्क रियायतें प्रदान करता है। निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन पत्र को कॉलेज की फीस रियायत समिति में जमा कराना है। महाविद्यालय सभी अनुसूचित जातियों / जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन शुल्क और प्रवेश शुल्क को छूट प्रदान करता है जिनके माता-पिता की आय योग कर योग्य आय से कम है, इस शर्त पर उनके माता-पिता के कार्यालय से प्रमाण पत्र के पेश करना होगा कि वे आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं ।

2.9 प्रवेश वापस लेने / रद्द करने, प्रवास आदि के कारण फीस के धन वापसी के लिए नियम *

(ए) जब कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले प्रवेश वापस लेने के लिए आवेदन करता है।	रु 250 / - का कटौती के बाद पूर्ण शुल्क
(बी) जब कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तारीख और प्रवेश के वर्ष के में 31 जुलाई या उससे पहले प्रवेश वापसी के लिए आवेदन करता है, तो	रु 500 / -की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क
(सी) जब कोई छात्र 31 जुलाई के बाद और प्रवेश के वर्ष के 16 अगस्त या उससे पहले के लिए प्रवेश की वापसी का आवेदन करता है।	रु 1000 / -की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क
(डी) प्रवेश के वर्ष में16 वीं अगस्त के बाद यदि कोई छात्र प्रवेश वापस लेने के लिए आवेदन करता है	कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा
(ई) अगर प्रवेश रद्द का कारण तथ्यों को छुपाने, गलत / नकली प्रमाण पत्रों के ज़मा करने छुपाने / मिथ्याकरण/ छात्र द्वारा भ्रामक जानकारी प्रदान करने या छात्र द्वारा किसी भी प्रकार की गलती / गलतीयों के कारण होती है	कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।

* शुल्क वापसी के नियमों में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो अलग से अधिसूचित किया जाएगा

2.10 प्रवेश शिकायत समिति:

कॉलेज में एक प्रवेश शिकायत समिति है, जिसके बारे में जानकारी कॉलेज के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रवेश के बारे में शिकायत रखने वाले उम्मीदवारों को पहले कॉलेज की शिकायत समिति के पास आवेदन करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वे या तो उत्तर या दक्षिण परिसर के लिए शिकायत समिति में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूडी श्रेणी उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच के लिए अलग प्रवेश शिकायत समिति होगी।

2017-2018 के शैक्षिक सत्र के लिए, निम्नलिखित प्रवेश शिकायत समिति के सदस्य हैं:

नाम	फोन नंबर	विभाग
1. डॉ आनंद प्रकाश (संयोजक)		रसायन विज्ञान विभाग
2. डॉ जसवीर त्यागी		हिंदी विभाग
3 डॉ राजीव रंजन गिरी		हिंदी विभाग
4. डॉ अनिल कुमार		इतिहास विभाग
5. डॉ धनराज मीना		रसायन विज्ञान विभाग
6. श्री अरुण लाल		रसायन विज्ञान विभाग

7. डॉ शिखा कौशिक रसायन विज्ञान विभाग
8. डॉ शर्मिला यादव रसायन विज्ञान विभाग

2.11 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (पूछे जाने वाले प्रश्न):

प्रश्न 1. क्या गैप वर्ष के छात्रों के लिए स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं?

ऊ 1. नहीं, पर आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।

प्रश्न 2. ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से कोई कैसे आवेदन करता है?

ऊ 2. आप ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 3. कट-ऑफ की घोषणा के बाद, क्या छात्रों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दाखिला दिया जाता है?

ऊ 3. महाविद्यालयों में प्रवेश का आधार पहले आओ, पहले पाओ निति नहीं हैं।

प्रश्न 4. मैंने अपनी कक्षा XII में वाणिज्य और खातों दोनों का अध्ययन किया है। मुझे कौन से विषय अपने सर्वश्रेष्ठ चार में रखने होंगे है?

ऊ 4. आप अपने "बेस्ट फोर" में दोनों विषयों को चुन सकते हैं

प्रश्न 5. मैं एक विज्ञान छात्र हूं क्या मैं कला / मानविकी विषयों में सम्मान के साथ बैचलर के लिए आवेदन कर सकता हूं?

ऊ 5. आप कला / मानविकी विषयों में आनर्स के साथ बैचलर के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आप विशिष्ट पात्रता शर्त और अपेक्षित कट-ऑफ दोनों को पूरा करते हैं।

प्रश्न 6. एक बार जब मैं किसी विशेष विषय में प्रवेश लेता हूं, तो क्या मैं अध्ययन के दौरान या पहला साल पूरा करने के बाद अपना विषय बदल सकता हूँ?

ऊ 6. नहीं, एक बार जब आप एक विशेष विषय में प्रवेश ले लेते हैं, तो आप प्रवेश के आखिरी तारीख से पहले ही अपना विषय बदल सकते हैं अगर सीटें उपलब्ध हैं और आप आवश्यक कट-ऑफ की शर्तों को पूरा करते हैं।

प्रश्न 7. मैं पिछले साल कक्षा 12 वीं की परीक्षा दी लेकिन गणित को पास करने में विफल रहा। फिर, मैंने कम्पार्टमेंट की परीक्षा दि और उसे पास कर लिया। अब मेरे पास दो दो अंकतालिकाएं हैं, क्या मैं प्रवेश पा सकता हूँ?

ऊ 7. हां, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, बशर्ते कम्पार्टमेंट की परीक्षा का परिणाम प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने से पहले घोषित होना चाहिए।

प्रश्न 8. क्या मैं कट ऑफ की घोषणा के बाद विभिन्न कॉलेजों में दो अलग-अलग / एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता हूं?

ऊ 8. नहीं, आप विभिन्न कॉलेजों में दो अलग-अलग पाठ्यक्रमों या एक ही कोर्स में एक साथ प्रवेश नहीं ले सकते। यदि आप दो जगहों पर प्रवेश लेते हैं, तो आपका प्रवेश कॉलेजों / पाठ्यक्रमों से रद्द हो जाएगा।

प्रश्न 9 मुझे पिछले साल खेल कोटा के तहत प्रवेश लिया था लेकिन पहले वर्ष को पास नहीं कर पाया। क्या मैं नए सिरे से आवेदन कर सकता हूं और अपना कोर्स भी बदल सकता हूं?

ऊ 9. आप अपने पहले वर्ष को एक पूर्व छात्र के रूप में पास कर सकते हैं, यदि आपका आंतरिक मूल्यांकन पूरा हो गया है (उपस्थिति सहित) अगर आपने उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं किया है, तो आपको नए सिरे से आवेदन करना होगा।

प्रश्न 10. क्या उम्मीदवार के नाम पर जाति या जनजाति प्रमाण पत्र होना महत्वपूर्ण है?

ऊ 10. हां, यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी / पीएच) के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो आपको उम्मीदवार के नाम पर जाति / जनजाति / पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र होना चाहिए। ओबीसी प्रमाणपत्र में यह भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि उम्मीदवार गैर- क्रीमरी परत और उसकी जाति को केंद्र सरकार की सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रश्न 11. मेरा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, क्या मैं अभी भी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकता हूँ?

ऊ.11. हाँ, आप परिणाम अनुभाग के तहत अपेक्षित परिणाम के उपयुक्त सर्कल को काला करके ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं; हालांकि निर्धारित अवधि के दौरान आपको उस पाठ्यक्रम / कॉलेज की न्यूनतम पात्रता शर्त / कट-ऑफ सूचीi शर्तों को पूरा करना होगा

प्रश्न 12. मैंने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय गलत जानकारी प्रदान की है और ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क भी चुकाया है। मैं क्या करूँ?

ऊ .12. ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बाद, किसी भी तरीके से सुधार, अतिरिक्त, विलोपन आदि पंजीकरण फॉर्म में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को अपने फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी जाती है। गलत फॉर्म को सरसरी तौर पे अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि, एक आवेदक नए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके दोबारा फिर से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है और आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क फिर से जमा करना होगा।

2.12 प्रवेश के संबंध में महत्वपूर्ण लिंक:

आप निम्न स्रोतों से प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: विश्वविद्यालय की वेबसाइट: http://www.du.ac.in

विश्वविद्यालय सूचना केंद्र- फोन नंबर 011-27006900 / 155,215

वेबसाइट: http://uic.du.ac.in

आप कक्ष संख्या: 5, प्रथम मंजिल, सम्मेलन केंद्र, डीन छात्र कल्याण (सामने) के कार्यालय द्वारा आयोजित सहायता डेस्क पर जा सकते हैं। वनस्पति विज्ञान विभाग, उत्तर कैम्पस प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय खुले दिन का आयोजन करता है।

समग्र ऑनलाइन पंजीकरण या / और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सामान्य प्रश्न के लिए, एक आवेदक निम्न ईमेल पते पर एक ईमेल लिख सकता है:

ऑनलाइन पंजीकरण और / और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए, कृपया निम्नलिखित ईमेल पते पर एक ईमेल भेजें:

3. विभागों और फैकल्टी सदस्यों:

क्र.सं.	शिक्षक	पद का नाम
1.	डॉ राजेश गिरि	कार्यकारी प्रिंसिपल

रसायन विज्ञान विभाग

1. डा के ए वेणुगोपालन	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ मुक्ता शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ मनीषा सिंघल	एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ युद्धवीर सिंह शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
5 डॉ संदीप कुमार शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
6. डॉ पूनम पिपिल	एसोसिएट प्रोफेसर
7. श्री बंटी कुमार	सहायक प्रोफेसर
8. डॉ अनीता कुमारी यादव	सहायक प्रोफेसर
9. डॉ सुमन मीणा (शिक्षक-इन-चार्ज)	सहायक प्रोफेसर
10. डॉ वैशाली वी शाहारे	सहायक प्रोफेसर
11. डॉ शिखा कौशिक	सहायक प्रोफेसर
12. डॉ रजनी	सहायक प्रोफेसर
13. डॉ शर्मिला यादव	सहायक प्रोफेसर
14. श्री आनंद प्रकाश	सहायक प्रोफेसर
15. श्री धनराज मीणा	सहायक प्रोफेसर
16. श्री अरुण लाल	सहायक प्रोफेसर
17. श्री हरीश कुमार	सहायक प्रोफेसर
18. डॉ पवन कुमार राय	सहायक प्रोफेसर

वाणिज्य विभाग

1. डॉ रेनु गंभीर	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ राजेन्द्र कुमार (प्रभारी अध्यापक)	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ प्रियंका कौशिक शर्मा	सहायक प्रोफेसर
4. डॉ मेघा अग्रवाल	सहायक प्रोफेसर
5. सुश्री मैरी सी लेथिल	सहायक प्रोफेसर

कंप्यूटर विज्ञान विभाग

1. डॉ सुरुचि गौतम	एसोसिएट प्रोफेसर
2. सुश्री मीनाक्षी श्रीधर	सहायक प्रोफेसर
3. सुश्री सुरभि खन्ना (शिक्षक-इन-चार्ज)	सहायक प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ सुनील बाबू	सहायक प्रोफेसर
2. डॉ गणिता भूपल	सहायक प्रोफेसर
3. सुश्री मोहिनी अग्रवाल	एसोसिएट प्रोफेसर
4. सुश्री एनाक्क्षी सिन्हा रे चौधरी	सहायक प्रोफेसर
5. सुश्री राखी अरोड़ा शर्मा	सहायक प्रोफेसर

अंग्रेजी विभाग

1. सुश्री रचना सेठी	सहायक प्रोफेसर
2. श्री बरुन कुमार मिश्रा	सहायक प्रोफेसर
3. सुश्री दिवा वाजपेयी झा	सहायक प्रोफेसर
4. डॉ। वेद मित्रा शुक्ला (अध्यापक प्रभारी)	सहायक प्रोफेसर
5. डॉ। वर्षा गुप्ता	सहायक प्रोफेसर
6. श्री शफीकुल आलम	सहायक प्रोफेसर
7. सुश्री अनुभा अनुश्री (अध्ययन अवकाश पर)	सहायक प्रोफेसर
8. श्री यूमीमिरीन कपाई (अध्ययन अवकाश पर)	सहायक प्रोफेसर

हिंदी विभाग

1. डॉ। मधु वर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ। वीरेंद्र कुमार यादव	एसोसिएट प्रोफेसर
3. श्री राकेश कुमार त्रिपाठी	सहायक प्रोफेसर
4. डॉ महेंद्र सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर
5. डॉ अनीता	एसोसिएट प्रोफेसर
6. डॉ जसवीर त्यागी	एसोसिएट प्रोफेसर
7. डॉ देव कुमार (टीचर इन-चार्ज)	सहायक प्रोफेसर
8. डॉ सपना चमड़िया	सहायक प्रोफेसर
9. डॉ नंद किशोर प्रसाद	सहायक प्रोफेसर
10. डॉ सत्य प्रकाश सिंह	सहायक प्रोफेसर
11. डॉ राजीव रंजन गिरी	सहायक प्रोफेसर

इतिहास विभाग

1. सुश्री रश्मी सेठ	एसोसिएट प्रोफेसर
2. सुश्री गायत्री भागवत साहू	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ सुरेंद्र कुमार (असाधारण छुट्टी)	सहायक प्रोफेसर
4. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद शुक्ला	सहायक प्रोफेसर
5. सुश्री नम्रता सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर
6. श्री महेंद्र सिंह धाकड़ (शिक्षक-इन-चार्ज)	सहायक प्रोफेसर
7. डॉ अनिल कुमार	सहायक प्रोफेसर

भाषाविज्ञान विभाग

1. डॉ चंदर शेखर सिंह (अध्यापक प्रभारी)	सहायक प्रोफेसर

गणित विभाग

1. डॉ सुशील कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ रतन देव शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
3. सुश्री वंदना ढिंगरा	एसोसिएट प्रोफेसर

4. डॉ केवल कृष्ण अरोड़ा	एसोसिएट प्रोफेसर
5. डा पंकज कुमार गर्ग	एसोसिएट प्रोफेसर
6. सुश्री कृष्णा थरेजा	एसोसिएट प्रोफेसर
7. श्री उमेश कुमार (असाधारण अवकाश पर)	सहायक प्रोफेसर
8. डॉ उर्वशी अरोड़ा	सहायक प्रोफेसर
9. श्री रविंद्र कुमार (अध्यापक प्रभारी)	सहायक प्रोफेसर
10. डॉ अरुण चौधरी	सहायक प्रोफेसर

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ अनिल कुमार कलकल (असाधारण अवकाश पर)	एसोसिएट प्रोफेसर

भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

1. डा के वी फर्डिनंड	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ कनिका सोमानी	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ संगीता श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ सुनीता आर्य छोकरा	एसोसिएट प्रोफेसर
5. डॉ संजय मल्होत्रा	एसोसिएट प्रोफेसर
6. डॉ राजेश गिरि	एसोसिएट प्रोफेसर
7. डॉ सुरेंद्र कुमार ढाका	एसोसिएट प्रोफेसर
8. डॉ शाश्वती सरकार	एसोसिएट प्रोफेसर
9. अखिलेश प्रसाद सिंह (शिक्षक प्रभारी)	एसोसिएट प्रोफेसर
10. डॉ स्वाती नागपाल	एसोसिएट प्रोफेसर
11. डॉ अमित जैन	एसोसिएट प्रोफेसर

12. श्री नितिन कुमार	सहायक प्रोफेसर
13. श्री महेश चंद मीना	सहायक प्रोफेसर
14. श्री जीतेश कुमार	सहायक प्रोफेसर
15. डॉ सरंगतम शांतिनाथ सिंह	सहायक प्रोफेसर
16. सुश्री दिव्या सिंह	सहायक प्रोफेसर
17. डॉ सोनिया लुम	सहायक प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ सुशील दत्त	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ सुमन कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर
3. श्री गिरराज प्रसाद बैरवा (शिक्षक प्रभारी)	एसोसिएट प्रोफेसर
4. डॉ राजबीर सिंह	सहायक प्रोफेसर
5. डॉ नवल किशोर	एसोसिएट प्रोफेसर
6. डॉ राजेश कुमार झा	सहायक प्रोफेसर

संस्कृत विभाग

1. डॉ सविता निगम (शिक्षक प्रभारी)	एसोसिएट प्रोफेसर

पुस्तकालय

1. श्री संजीव शर्मा	पुस्तकालय अध्यक्ष

4. प्रशासनिक स्टाफ:

प्रशासनिक अधिकारी: श्री श्री भगवान

अनुभाग अधिकारी, प्रशासन: सुश्री अरुणा शर्मा

अनुभाग अधिकारी, लेखा: सुश्री रेणुका सलवान

5. स्टाफ काउंसिल कमेटी (2017-2018)

अध्यक्ष: डॉ राजेश गिरि

प्राचार्य: डॉ राजेश गिरि

बर्सर: डॉ। सुमन कुमार
सचिव: श्री बरुन कुमार मिश्रा

क्र० संख्या	समिति	संयोजक	सदस्य
1.	टाइम-टेबल	डॉ ए.पी. सिंह	1. डॉ सुशील डट 2. सुश्री नम्रता सिंह 3. डॉ मोहिनी अग्रवाल 4. डॉ देव कुमार 5. श्री शफिकुल आलम 6. डॉ रेनु गंभीर 7. सुश्री सुरभि खन्ना 8. डॉ रजनी ग्रोवर 9. डॉ अमित जैन 10. डॉ सविता निगम 11. डॉ वाई एस शर्मा 12. डॉ के के अरोड़ा
2.	प्रॉक्टरियल बोर्ड	डॉ जी पी बैरवा	1. डॉ पवन कुमार राय 2. श्री शफिकुल आलम 3. डॉ राजबीर सिंह 4. डॉ सपना चमड़िया 5. डॉ देव कुमार 6. डॉ राजेन्द्र कुमार 7. डॉ आर डी शर्मा 8. डॉ एनाक्क्षी सिन्हा रे 9. डॉ नम्रता सिंह 10. डॉ स्वाती नागपाल 11. डॉ शांतीनाथ सिंह 12. डॉ शर्मिला यादव 13. डॉ वैशाली वी शाहारे 14. श्रीमती सुरभि खन्ना 15. डॉ संजीव कुमार शर्मा 16. डॉ प्रियंका कौशिक 17. डॉ आनंद प्रकाश 18. डॉ अनिल कुमार
3.	छात्र सलाहकार	श्री जीतेश कुमार	1. डॉ सुशील दत्त 2. श्री नितिन

			3. डॉ सुमन कुमार 4. डॉ अनिल कुमार 5. डॉ अनीता गौर 6. डॉ रजनी ग्रोवर
4.	खेल	डॉ रवींद्र कुमार	1. डॉ सत्य प्रकाश 2. डॉ मेघा अग्रवाल 3. डॉ के के अरोड़ा 4. डॉ अरुण चौधरी 5. डॉ नवल किशोर 6. डा ए पी सिंह 7. डॉ राजेश कुमार झा 8. डॉ वैशाली शाहारे 9. डॉ मैरी सी लेथिल 10. डॉ संजीव शर्मा 11. डॉ प्रियंका कौशिक
5.	सांस्कृतिक	डॉ मोहिनी अग्रवाल	1. डॉ वेद मित्र शुक्ला 2. डॉ जसवीर त्यागी 3. डॉ शिखा कौशिक 4. डॉ कृष्णा थरेजा 5. डॉ गायत्री भागवत साहू 6. डॉ पवन कुमार राय 7. डॉ प्रियंका कौशिक
6.	वाद-विवाद	डॉ वर्षा गुप्ता	1. डॉ मधु वर्मा 2. डॉ सविता निगम 3. डॉ एस पी शुक्ला 4. डॉ राजीव रंजन गिरि 5. डॉ अनीता के.आर. यादव 6. डॉ सुनीता आर्य 7. डॉ सास्वती सरकार 8. डॉ रश्मी सेठ
7.	पत्रिका	डॉ नम्रता सिंह	1. डॉ चंद्रशेखर सिंह 2. डॉ सास्वती सरकार 3. डॉ रचना सेठी 4. डॉ जसवीर त्यागी 5. डॉ गायत्री भागवत साहू 6. डॉ मधु वर्मा 7. डॉ वेद मित्र शुक्ला

8.	विवरण-पत्रिका	डॉ बरुन कुमार मिश्रा	1. डॉ सत्य प्रकाश 2. श्री अरुण लाल
9.	जलपान गृह	श्री अरुण लाल	1. श्री आनंद प्रकाश 2. डॉ अनिल कुमार 3. डॉ महेंद्र सिंह 4. श्री सुशील दत्त 5. डॉ सुमन मीणा 6. डॉ मीनाक्षी श्रीधर 7. डॉ पूनम पिपिल 8. डा ए पी सिंह
10.	बागवानी	डॉ पूनम पिपिल	1. डॉ सोनिया लुंब 2. डॉ हरीश कुमार 3. डॉ राजबीर सिंह 4. डॉ गणिता भूपल
11.	परीछेत्र सौंदर्यीकरण	डॉ सुशील कुमार आजाद	1. डॉ वीरेंद्र कुमार यादव 2. श्री राकेश कुमार त्रिपाठी 3. डॉ वंदना ढींगरा 4. डॉ संजय मल्होत्रा 5. डॉ के ए ए वेणुगोपालन
12.	स्वास्थ्य और स्वच्छता	डॉ सोनिया लम्बा	1. डॉ मुक्ता शर्मा 2. श्री महेश चंद मीना 3. डॉ एस शांती नाथ 4. डा एस.के. ढाका 5. डॉ रश्मी सेठ 6. डॉ महेंद्र सिंह धाकड़ 7. डॉ सुमन मीणा
13.	राजधानी कॉलेज भूतपूर्व छात्र संघ	डॉ वाई एस शर्मा	1. डॉ शर्मिला यादव 2. डॉ कनिका सोमानी 3. डॉ संगीता श्रीवास्तव 4. डॉ रचना 5. डॉ जसवीर त्यागी
14.	उत्तर-पूर्व छात्र कल्याण	श्री शफीकुल आलम	1. डॉ मैरी सी लेथिल 2. डॉ एस शांती नाथ 3. डॉ महेंद्र सिंह

15.	छात्रों के सुलभ कक्ष	श्री हरीश कुमार	1. श्री अरुण लाल 2. डॉ सुनील बाबू 3. श्री महेश चंद मीना 4. डॉ वीरेंद्र कुमार यादव
16.	छात्राओं कॉमन रूम	डॉ अनीता कुमारी यादव	1. डॉ वैशाली वी शाहारे 2. डॉ गणिता भूपल 3. डॉ स्वाती नागपाल 4. डॉ शिखा कौशिक 5. सुश्री राखी अरोड़ा 6. डॉ कृष्ण थरेजा
17.	ट्रेकिंग, पर्वतारोहण क्लब	डॉ आनंद प्रकाश	1. श्री अरुण लाल 2. डा राजेन्द्र कुमार 3. डॉ राजबीर सिंह 4. डॉ सविता निगम 5. डॉ उर्वशी अरोड़ा 6. डॉ नवल किशोर 7. डॉ रचना सेठी
18.	केन्द्रीय क्रय समिति	डॉ अरुण चौधरी	1. डॉ पंकज गर्ग 2. डॉ रविंदर कुमार 3. डॉ दिव्या बाजपेई झा 4. डॉ सुमन कुमार 5. डॉ संदीप के शर्मा
19.	विस्तार व्याख्यान श्रृंखला	डॉ सुनील बाबू	1. डॉ एस के ढाका 2. डॉ राजीव रंजन गिरि 3. डॉ वेद मित्र शुक्ला 4. डॉ संदीप कुमार शर्मा
20.	शोध संबंधी मामले	डॉ आर डी शर्मा	1. डॉ अमित जैन 2. श्री जीतेश कुमार 3. डॉ अनीता कुमारी यादव 4. डॉ महेंद्र सिंह 5. डॉ चित्त सेठी 6. डॉ महेंद्र सिंह धाकड़ 7. डॉ वेद मित्र शुक्ला 8. डॉ पवन कुमार राय 9. डॉ सत्य प्रकाश सिंह 10. डॉ उर्वशी अरोड़ा

21.	वेबसाइट समिति	श्री नितिन	1. श्री धनराज मीणा 2. डॉ सोनिया लुंब 3. डॉ दिव्या बाजपेई झा 4. डॉ सुरुचि गौतम 5. डॉ रवींद्र कुमार 6. डॉ अरुण चौधरी
22.	शुल्क रियायत	श्री धनराज मीणा	1. डॉ मनिषा सिंघल 2. डॉ अनीता के यादव 3. डॉ संजीव शर्मा 4. डॉ नंद किशोर प्रसाद 5. डॉ महेंद्र सिंह धाकड़ 6. डॉ सविता निगम
23.	छात्र सहायता कोष	डॉ देव कुमार	1. डॉ राजेश कुमार झा 2. डॉ एस पी शुक्ला 3. डॉ सुनील बाबू 4. डॉ राजीव रंजन गिरि 5. डॉ दिव्या बाजपेई झा 6. डॉ रेनु गंभीर 7. डॉ मनीषा सिंघल 8. डॉ एस शांती नाथ 9. डॉ कृष्ण थरेजा
24.	पर्यावरण संबंधित मुद्दे	डॉ पंकज गर्ग	1. श्री धनराज मीणा 2. डॉ सुनीता आर्य 3. डॉ शिखा कौशिक 4. डॉ शर्मिला यादव 5. डॉ सुमन मीणा
25.	पुस्तकालय समिति	श्री संजीव कुमार शर्मा	1. डॉ जी पी बैरवा 2. सुश्री रश्मी सेठ 3. डॉ सुरुची गौतम 4. डॉ वाई एस शर्मा 5. सुश्री एनाक्षी सिन्हा रे 6. डॉ देव कुमार 7. श्री बरुन कुमार मिश्रा 8. डॉ मैरी सी लेथिल 9. डॉ ए पी सिंह 10. डॉ अरुण चौधरी

26.	फोटोग्राफ़ी सोसाइटी	डॉ सविता निगम	1. डॉ मनिषा सिंघल 2. डॉ रचना सेठी 3. डॉ अरुण चौधरी 4. डॉ आनंद प्रकाश 5. डॉ सुशील आजाद 6. डॉ सुरुचि गौतम 7. डॉ पवन कुमार राय
26.	आपदा तैयारियां समिति	डॉ स्वाती नागपाल	1. डॉ अनीता के यादव 2. डॉ सुमन मीणा
27	शैक्षणिक मूल्यांकन समिति	श्री बरुन कुमार मिश्रा	सभी विभाग प्रभारी सदस्य के रूप में
28	आईसीटी समिति	लाइब्रेरियन और सभी विभाग प्रभारी सदस्य के रूप में	
29.	खेल प्रवेश के लिए स्टाफ परिषद नामांकित सदस्य	डॉ रवींद्र कुमार	1. डॉ अरुण चौधरी

डिपार्टमेंट कमेटी

क्र सं	विभाग	समय सारणी	योजना	संस्था	पुस्तकालय
1.	रसायन विज्ञान	डॉ रजनी ग्रोवर	डॉ सुमन मीणा	श्री धनराज मीणा	डॉ वाई एस शर्मा
2.	वाणिज्य	डॉ रेणु गंभीर	डॉ रेणु गंभीर	डॉ राजेन्द्र कुमार	डॉ मैरी सी लेथिल
3.	कंप्यूटर विज्ञान	डॉ सुरुचि गौतम	डॉ सुरुचि गौतम	सुश्री सुरभि खन्ना	डॉ सुची गौतम
4.	अर्थशास्त्र	सुश्री मोहिनी अग्रवाल	मोहिनी अग्रवाल	डॉ गणिता भूपल	सुश्री एनाक्षी सिन्हा रे
5.	अंग्रेजी	श्री शफीकुल आलम	श्री बरुन कुमार मिश्रा	सुश्री रचना सेठी	श्री बरुन कुमार मिश्रा
6.	हिंदी	डॉ देव कुमार	डॉ देव कुमार	डॉ नंद किशोर प्रसाद	डॉ देव कुमार
7.	इतिहास	सुश्री नम्रता सिंह	सुश्री नर्मता सिंह	डॉ अनिल कुमार	सुश्री रश्मी सेठ
8.	गणित	डॉ के के अरोड़ा	डॉ पंकज गर्ग	डॉ आर डी शर्मा	डॉ अरुण चौधरी
9.	भौतिक विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स	डॉ अमित जैन	डॉ ए पी सिंह	डॉ एस के ढाका	डॉ ए पी सिंह
10.	राजनीति विज्ञान	डॉ सुशील दत्त	डॉ नवल किशोर	डॉ सुमन कुमार	डॉ जी पी बैरवा
11.	भाषाविज्ञान	डॉ चंद्रशेखर सिंह	डॉ चंद्रशेखर सिंह	डॉ चंद्रशेखर सिंह	डॉ चंद्रशेखर सिंह
12.	संस्कृत	डॉ सविता निगम	डॉ सविता निगम	डॉ सविता निगम	डॉ सविता निगम

सह पाठ्यक्रम गतिविधियां

कॉलेज में कई सोसाइटी हैं जो पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। छात्रों को इन सोसाइटीयों में शामिल होने और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकें, अपने कौशल को धार दे सकें और अपनी अंतर्निहित प्रतिभा को सामने ला सकें। इससे उन्हें वर्ष भर के विभिन्न अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं के साथ-साथ इंटर-यूनिवर्सिटी स्तर की घटनाओं में सफलतापूर्वक भाग लेने में मदद मिलेगी।

5.1 डिपार्टमेंट सोसाइटीज

प्रत्येक अध्यापन विभाग के स्वयं के विभागीय सोसाइटी हैं, जो नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों और घटनाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। द इकोनॉमिक्स सोसाइटी, इंग्लिश लिटररी एसोसिएशन (ईएलए), संस्कृत सोसाइटी (नस्थथा), भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स सोसायटी और गणित विभाग की सोसायटी, कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जो पूरे वर्ष में उत्साहपूर्वक सक्रिय रहती हैं। इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्र अपने विषय विभाग के संबंधित प्रभारी अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं।

5.2 सांस्कृतिक घटनाएं

दिल्ली विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक समिति राजधानी कॉलेज और अन्य संबद्ध कॉलेजों की सांस्कृतिक भेंटों में भाग लेने के लिए छात्रों के लिए एक मंच बनने और बनाने के लिए समर्पित है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में संकाय सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है। महाविद्यालय की सांस्कृतिक समिति छात्रों के छिपी प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से काम करती है, उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए ये टीम के रूप में काम करती है और प्रदर्शन करते समय आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाती है। पूरे वर्ष में सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरा किया जाता है और छात्रों को मेहंदी, रंगोली, कोलाज़ मेकिंग, कविता श्रवण, लघु नाटक, गायन (एकल और समूह), नृत्य (एकल और समूह) जैसे विभिन्न अंतर / अंतर-कॉलेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर मिलते हैं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र, ट्राफियां और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी (और स्वयंसेवक काम) में रुचि रखने वाले छात्र सांस्कृतिक समिति के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।

5.3 खेल के आयोजन

कॉलेज के सभी छात्रों के लिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आदि जैसे आउटडोर और इनडोर खेल उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं को पूरे वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। एक ग्रैंड स्पोर्ट्स डे हर साल आयोजित किया जाता है जो न केवल छात्रों की बल्कि कॉलेज के शिक्षण और गैर-शिक्षण संकाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रस्तुत करता है।

5.4 डेबेटिंग इवेंट

डेबिटिंग सोसायटी, कॉलेज के छात्रों को वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती है। इंटर और इंट्रा-कॉलेज की प्रतियोगिताओं को कॉलेज में आयोजित किया जाता है और छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है और विभिन्न मंचों पर घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार किया जाता है।

5.5 राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प (एनसीसी)

एनसीसी का लक्ष्य नेतृत्व, चरित्र, सहकारिता, साहस की भावना और सेवा के आदर्शों का विकास है। यह अनुशासित और प्रशिक्षित जनशक्ति की एक बल बनाता है, जो एक राष्ट्रीय आपात स्थिति में देश की सहायता कर सके। इसमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनमें अधिकारी जैसे गुण विकसित हो सकें। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के लिए एनसीसी विंग्स हैं। कॉलेज में एनसीसी इन्फैंट्री विंग (लड़के) और नौसेना विंग (लड़कियों) की दो कंपनियां हैं, जिसके लिए दो एनसीसी अधिकारी नियुक्त हैं। कैडेट ड्रिल, मैप रीडिंग, शूटिंग, फिल्ड क्राफ्ट, फर्स्ट ऐड और फायर बंटिंग में प्रशिक्षण दे रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग और विभिन्न नेतृत्व और अग्रिम नेतृत्व शिविरों जैसे विभिन्न साहसिक कैंपों में भाग लेने के लिए कैडेट भेजे जाते हैं। छात्र एनसीसी के इन्फैंट्री या नौसेना शाखा में कॉलेज एनसीसी अधिकारी के साथ उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं।

डॉ धनराज मीणा (रसायन विज्ञान विभाग) एन सी सी प्रभारी (लड़के)
जबकि डॉ। सुमन मीणा (रसायन विज्ञान विभाग) वर्ष 2017-2018 के लिए एनसीसी इनचार्ज (गर्ल्स) है।

5.6 राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

एनएसएस को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने प्रोत्साहित किया है और इसका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना का विकास करना है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए उद्देश्यों को प्रोत्साहित करता है जैसे भारतीय लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण और एक वैज्ञानिक मानसिकता और काम करने के सिद्धांतों के विकास। छात्र एनजीओ और सामाजिक कार्य संगठनों के साथ काम करते हैं। वे रक्त दान शिविरों का आयोजन भी करते हैं और जब आवश्यक हो तब राहत कार्यों में सहायता करते हैं। छात्रों के बीच सामाजिक सेवा में रुचि पैदा करने के लिए और अपने खाली समय को लाभान्वित करने के लिए, कॉलेज के एनएसएस यूनिट पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं जैसे संस्थागत उत्थान, रक्तदान, परिसर स्वच्छता, स्वच्छ यमुना अभियान, विशेष क्षेत्रों में रूचि, जैसे चित्रकला, संगीत आदि।

शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉ। अनिल कुमार (इतिहास विभाग) हैं।

5.7 गांधी अध्ययन चक्र

आज के युवाओं के बीच राष्ट्रपिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गांधी अध्ययन मंडल की स्थापना की गई है। मंडल गांधीजी के बारे में घटनाएं, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए अनिवार्य है।

2017-2018 के लिए सर्कल के संयोजक डॉ वेद मित्रा शुक्ला और डॉ राजीव रंजन (अंग्रेजी विभाग) हैं।

5.8 ट्रेकिंग, माउटेनियरिंग क्लब

स्थापना के बाद से ही, इस क्लब ने उन छात्रों और संकाय सदस्यों को आकर्षित किया है जो पर्वत-भ्रमण और ट्रेकिंग के लिए उत्सुक हैं। कभी-कभार क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न ट्रेकिंग कार्यक्रमों में सदस्य शामिल होते हैं। क्लब छात्रों के बीच पर्यावरण प्रशंसा, जागरूकता और सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के माध्यम से व्यक्तित्व विकास और संवर्धन के अवसर प्रदान करता है।

5.9 फोटोग्राफी सोसाइटी

इस साल, कॉलेज अपने गौरव गाथा में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है - फ़ोटोग्राफ़ी क्लब छात्रों को अपने फोटोग्राफी कौशल का पता लगाने और विकसित करने का मौका देने के लिए है।

6. कॉलेज के सेल

6.1 महिला विकास सेल (डब्ल्यूडीसी)

डब्ल्यूडीसी कॉलेज में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ सभी पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रहों से मुक्त कैंपस बनाना है। संकाय सदस्यों की एक समिति परिसर के भीतर सभी महिलाओं (छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों) की सुरक्षा के मुद्दे का ख्याल रखती है। यह किसी भी महिला के किसी भी प्रकार के लिंग आधारित शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक भेदभाव के मामलों को हल करने की कोशिश करती है। समिति सक्रिय रूप से आत्मविश्वास कार्यक्रम, वाद-विवाद, नाटक और कई महिला कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ता जैसे विभिन्न कार्यों के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल है। विधि संकाय के सदस्यों और प्रसिद्ध कार्यकर्ता भी नियमित रूप से महाविद्यालयों में महिला विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में समझाने आते हैं।

डा अनीता गौर (हिंदी विभाग) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इस सेल के प्रभारी हैं।

6.2 समान अवसर सेल (ईओसी)

27 अगस्त 2006 को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एससी / एसटी, ओबीसी, विकलांग और अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं को परस्पर संबोधित करने के लिए समान अवसर सेल (ईओसी) का गठन हुआ। देखा गया है कि विकलांगता, अक्षमता या अल्पसंख्यक स्थिति लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्या पर्यावरण, आर्थिक और सांस्कृतिक अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है। विकलांगता और अल्पसंख्यक समान अधिकार के पहलु हैं जो अन्य प्रकार के अनुचित भेदभाव और पूर्वाग्रहों के समान हैं। अपने मिशन वक्तव्य के भाग के रूप में, ईओसी निम्नलिखित सुनिश्चित करता है:

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विषय में सकारात्मक कार्रवाई
2. विश्वविद्यालय के कॉलेजों, विभागों, पुस्तकालयों, छात्रावासों और अधिकारियों के सभी भवनों तक एक बाधा मुक्त पहुंच।
3. एक संसाधन केंद्र का कुशल संचालन जो दृश्य, श्रवण, हड्डी रोग, और न्यूरोलॉजिक सहित सभी श्रेणियों में पीडब्लूडी की जरूरतों को पूरा करने में माहिर हो।

शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए, डॉ महेंद्र सिंह धाकड़ (इतिहास विभाग) इस सेल के संयोजक हैं। इसके अलावा, सुश्री नर्मता सिंह (इतिहास विभाग), डॉ वेद मित्रा शुक्ला (अंग्रेजी विभाग), डॉ वैशाली वी शाहारे (रसायन विज्ञान विभाग) और डॉ देव कुमार (हिंदी विभाग) इस सेल के सदस्य हैं ।

6.3 एससी / एसटी सेल

कॉलेज के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति सेल का गठन किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शिक्षकों और गैर-शिक्षण पदों, नियुक्तियों के आवंटन और अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में पर्याप्त प्रतिनिधत्व दीया गया हो और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि

आरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है। यह सेल न केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ही बल्कि हर साल गरीब और अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति शिविर का आयोजन करता है। इस शिविर में, उपर्युक्त सभी श्रेणियों के जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली प्रशासन के साथ-साथ केंद्र सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बताया जाता है। यह प्रवेश अवधि के दौरान विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से काम करता है ताकि छात्रों को मुफ्त में छात्रवृत्ति के लिए दाखिले की स्थापना के लिए काउंटर स्थापित किया जा सके।

डॉ महेंद्र सिंह (हिंदी विभाग) वर्ष 2017-2018 के लिए एससी / एसटी सेल के संयोजक हैं।

6.4 प्लेसमेंट सेल

कॉलेज के बाद रोजगार के लिए सही दिशा-निर्देश और सहायता प्राप्त करने में छात्रों की सहायता के लिए कॉलेज द्वारा एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है। डॉ। मैरी सी लेथिल (वाणिज्य विभाग) वर्ष 2017-2018 के लिए इस सेल के संयोजक है । और सदस्य हैं डॉ मोहिनी अग्रवाल, डॉ अरुण लाल और डॉ शिखा कौशिक।

7. अन्य महत्वपूर्ण समितियां और अधिकारी

7.1 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई है
डॉ दिव्य बाजपेई झा (अंग्रेजी विभाग) प्रेसिडिंग ऑफिसर है।

7.2 एंटी डिस्क्रिमीनिटरी ऑफिसर

डॉ नितिन कुमार (भौतिकी विभाग) वर्ष 2017-2018 के लिए एंटी डिस्क्रिमीनिटरी अधिकारी हैं

विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा सामना की गई समस्याओं को संभालने के लिए कॉलेज में निम्नलिखित संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

7.3 संपर्क अधिकारी: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति: डॉ जी पी बैरवा (राजनीति विज्ञान विभाग)

7.4 संपर्क अधिकारी: ओबीसी: डॉ अनीता के. आर. यादव (रसायन विज्ञान विभाग)

7.5 संपर्क अधिकारी: पीडब्ल्यूडी: डॉ वेद मित्र शुक्ला

7.6 सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ): डॉ आर डी शर्मा

7.7 नोडल लोक शिकायत अधिकारी: डॉ नवल किशोर

7.8 व्यावसायिक सलाहकार: डॉ नंद किशोर प्रसाद

एक व्यावसायिक काउंसेलर को कॉलेज के छात्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा नियुक्त किया गया है।

8. केन्द्रीय प्लेसमेंट सेल / सांस्कृतिक परिषद

केन्द्रीय प्लेसमेंट सेल (सीपीसी) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डीन के कार्यालय, छात्र कल्याण के तहत कि गई एक पहल है। सीपीसी एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है जहां कंपनियां और संगठन खुद को पंजीकृत कराते हैं। अंतिम वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों के छात्र खुद को अपने संबंधित विभागों के माध्यम से सीपीसी से पंजीकृत करा सकते हैं। सीपीसी वाले सभी पंजीकृत छात्र रोजगार की नियुक्ति और रोजगार के लिए परामर्श के लिए हकदार हैं। सीपीसी कैरियर विकल्पों के लिए उद्योगों और छात्रों के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है।
कृपया http://www.placement.du.ac.in वेबसाइट देखें

सांस्कृतिक परिषद, डीन, छात्र कल्याण के अधीन कार्यरत दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सांविधिक निकाय है। यह कॉलेज के सभी वास्तविक छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों तक पहुंचता है। यह एक जीवंत सांस्कृतिक निकाय है जो इंटर कॉलेज स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों / प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

9. कॉलेज में सुविधाएं

9.1 बुनियादी ढांचा

9.1.1 न्यू अकादमिक ब्लॉक

कॉलेज ने हाल ही में नए अकादमिक ब्लॉक के निर्माण के जरिए अपनी सुविधाएं बढ़ा दी हैं। दो मंजिला ब्लॉक में आठ नए कक्षाएं, एक कंप्यूटर लैबोरेटरी और एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला है, जिसमें लिफ्ट भी शामिल है।

9.1.2 ऑडिटोरियम

कॉलेज में एक विशाल वातानुकूलित सभागार है, जिसका उपयोग विभिन्न आयोजनों के लिए किया जाता है और नियमित रूप से शैक्षणिक, सह-पाठ्यचर्या और अतिरिक्त पाठ्यचर्या वाली गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।

आर्ट्स ब्लॉक के भूतल पर स्थित ऑडिटोरियम में 200 लोगों के लिए सीटें हैं इसमें अद्भुत श्रवणगम्यता की और गर्मजोशी का माहौल है। यह संगीत, नृत्य और थिएटर प्रदर्शन, फिल्म प्रदर्शन, व्याख्यान, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और विदाई पार्टियों के लिए एक आदर्श स्थान है।

9.1.3 संगोष्ठी कक्ष

कला ब्लॉक में पहली मंजिल पर स्थित, संगोष्ठी कक्ष मल्टी मीडिया सुसज्जित है। सेमिनार, प्रस्तुतीकरण, वार्ता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कार्यशाला आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए यह एलसीडी प्रोजेक्टर और ऑडियो-स्पीकर के साथ विशाल, वातानुकूलित सुविधा प्रदान करता है।

9.1.4 सेंटल कंप्यूटर लैबोरेटरी

कॉलेज में सेंट्रल कंप्यूटर लैबोरेट्री छात्रों को उनके कंप्यूटर कौशल को प्रशिक्षण और निखारने के लिए अवसर प्रदान करती है। संशोधित और पुनर्गठन पाठ्यक्रमों की शुरूआत के साथ, कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान और पहुंच स्नातक कॉलेज पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन गया है। लैब नेटवर्क पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण से लैस है। छात्र अपने दैनिक कार्यों के एक अभिन्न अंग के रूप में सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

9.1.5 मेडिकल रूम

कॉलेज की सुविधा के दौरान छात्रों के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध है कॉलेज छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करता है और एक अंशकालिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में आकस्मिक और छोटी बीमारियों के लिए छात्रों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ प्रशिक्षित मेडिकल पेशेवरों द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाती है।

9.1.6 लड़कियों के सामान्य कक्ष

कॉलेज महिला छात्रों के लिए एक आम कमरा प्रदान करता है जिसे उनके द्वारा आराम कक्ष के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्ट्स ब्लॉक के अंदर स्थित, गर्ल्स कॉमन रूम (जीसीआर) एक विशाल और आरामदायक जगह है जहां महिला छात्र पढ़ सकती हैं, खेल सकती हैं, मित्रों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर सकती हैं और मुफ्त समय में वरिष्ठ छात्रों के साथ बातचीत कर सकती हैं। इससे उन्हें कॉलेज जीवन के बारे में सीखने और परिसर से परिचित होने में सहायता मिलती है, जो अगले तीन वर्षों के लिए उनका दूसरा घर है।

9.1.7 खेल का मैदान और लॉन

संभावित खिलाड़ियों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण कॉलेज में खेल का मैदान है। यह विशाल और अच्छे रख-रखाव से सुसज्जित है। यह सभी खेल-इच्छुक छात्रों को क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स खेलने की सुविधा प्रदान करता है और इसके लिए उत्कृष्ट उपकरण भी उपलब्ध कराता है।

कॉलेज में पेड़ों और फूलों के पौधों के साथ सुंदर लॉन भी हैं। हरे भरे घास और पेड़ों की ठंडी छाया गर्मियों में राहत देती है । छात्रों का पूरी तरह से बैठकों, अभ्यास, रिहर्सल या अध्ययन करने के लिए स्वागत है, लेकिन कूड़ा फैलाना कड़ाई से मना किया जाता है।

9.1.8 कैफेटेरिया

कॉलेज के पास एक आधुनिक और विशाल कैफेटेरिया है जो कि विनियमित / नियंत्रित दर पर नाश्ते की सेवा के साथ, कैफे के अंदर और बाहर बैठने की व्यवस्थाओं के साथ। यह एक समय में 80 से अधिक छात्रों को जगह दे सकता है। यह

वह जगह है जहां मस्ती और मज़ा है! छात्र उचित मूल्य पर अच्छे और स्वच्छ भोजन खा सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां सभी धाराओं के छात्र मिलते हैं और बातचीत करते हैं।

9.2 पुस्तकालय

9.2.1 एक विशाल और नवीनीकृत लाइब्रेरी

वर्तमान इन्टरनेट दक्ष पीढ़ी की उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से लाइब्रेरी में संकाय के लिए एक विशेष पढने के लिए कॉर्नर है, इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर और ई-पत्रिकाओं के लिए सदस्यता है। हमारी लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर एक लाख से अधिक विद्वानों की पुस्तक संख्या है और 32 समाचार पत्रों और लगभग 43 पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं और विभिन्न हितों की पत्रिकाओं के लिए सदस्यता हैं। पिछले शैक्षणिक सत्र में स्वचालन प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। कम्प्यूटर सूचीकरण प्रगति पर है और एक बार यह पूरा हो जाने पर हमारे छात्रों के पास एक बटन के क्लिक पर सभी पुस्तकों का विवरण होगा। पुस्तकालय ने उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अख़बार कतरन सेवा भी शुरू कर दी है। राजधानी कॉलेज लाइब्रेरी अपने उपयोगकर्ताओं को एन-लिस्ट कार्यक्रम के माध्यम से 3800+ ई-पत्रिकाओं और 80000 + ई-पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करती है। पुस्तकालय में विकलांग छात्रों के लिए एक अलग कोना है और फोटोकॉपी की सुविधा भी आने वाले सत्र से पुस्तकालय के भीतर शुरू हो जाएगी।

9.2.2 लाइब्रेरी कार्ड

किताबों को उधार लेने के इच्छुक समुदाय के लोगों के लिए लाइब्रेरी संबंधी लाइब्रेरी कार्ड प्रदान किया जाता है। मांगे जाने परया पुस्तकालय में प्रवेश करने या पुस्तकालय में पूछे जाने पर, सदस्यों पाठक या उधारकर्ता को कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट छात्रों को पांच (5) रीडर के टिकट जारी किए जाते हैं और स्नातकोत्तर छात्र छह (6) रीडर के टिकट के लिए हकदार होते हैं।

9.2.3 लाइब्रेरी नेट-कैफे

कॉलेज पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी है, जिसमें उपयोगकर्ताओं के लिए 28 कंप्यूटर उपलब्ध हैं। सदस्यों के लिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जो वे विभिन्न वेबसाइटों के ई-पत्रिकाओं और डेटाबेस तक पहुंचने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

9.2.4 समय

पढ़ई कक्ष: 9.00 बजे से 5.00 बजे तक

दैनिक अंक / रिटर्न: 9.00 बजे से 3.00 पी.एम.

डुप्लिकेट रीडर टिकट का नवीनीकरण / जारी: 3.00 बजे- 5.30 बजे (दैनिक)

9.2.5 बेसिक नियम

पुस्तकालय में सभी व्यक्ति पुस्तकालय नैतिकता के सभी बुनियादी और प्राथमिक सिद्धांतों का पालन करेंगे, पुस्तकालय के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लागू अनुशासन में जमा करेंगे।

1. पन्द्रह (15) दिनों के लिए सदस्यों को पुस्तकें जारी की जाती हैं।

2. अतिदेय प्रभार पुनः है प्रति किताब प्रति दिन 1 / -।

3. लाइब्रेरी कार्ड या अन्य पहचान अभिलेखों को पुस्तकालय में प्रवेश करने के समय या लाइब्रेरी में पूछे जाने पर मांगे जाने पर दिखाया जाना है।
4. अनजान या अनधिकृत व्यक्तियों का पुस्तकालय तक पहुंच नहीं होगा और यदि लाइब्रेरी में पाया जाता है, तो उन्हें लाइब्रेरियन / प्राचार्य द्वारा पुस्तकालय से निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा।
5. वार्तालाप, बातचीत, नींद, धूम्रपान और लेटरिंग की अनुमति पुस्तकालय में नहीं है। लाइब्रेरी परिसर के भीतर मोबाइल फ़ोनों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
6. पुस्तकालय में प्रवेश करने के समय, पुस्तकालय से उधार लेने वाले कॉलेज लाइब्रेरी और पुस्तकों से संबंधित सभी निजी सामान और किताबें, लेकिन पुस्तकालय में वापस नहीं आने के लिए, प्रवेश द्वार पर संपत्ति काउंटर / लॉकर में जमा की जाएंगी। पुस्तकालय की ओर।
7. लाइब्रेरी के प्रत्येक सदस्य को लाइब्रेरी रीडिंग रूम में अध्ययन के लिए या घर पर उपयोग के लिए किसी भी पुस्तकालय की उधार लेने की सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार होगा।
8. पुस्तकालय समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले पुस्तकालयों की क्षतिपूर्ति करने के लिए पुस्तकों के नुकसान, क्षति, विकट,

9.2.6 पुस्तकालय मंजूरी

प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र / परीक्षा हॉल से पहले पुस्तकालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता है
टिकट उसे जारी किया गया है

9.3 रका: कॉलेज मेगजीन

कॉलेज की आधिकारिक वार्षिक पत्रिका रका नामक है मार्च में हर साल रिहा, आरकेए चालू वर्ष के लिए राजधनी कॉलेज की सभी गतिविधियों की परिणति का प्रतीक है। यह छात्रों को रुचि के विषय तलाशने और साथी विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करता है। यह संकाय सदस्यों और छात्रों के संपादकीय समिति द्वारा उठाए गए सर्वोत्तम लेखों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, पत्रिका साहित्यिक कौशल और विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतिभाओं को समाहित करने में सहायक है। पत्रिका का एक खंड प्रत्येक अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में है। यह विशिष्ट राजधनी स्वाद और आत्मा को बनाए रखते हुए एक पेशेवर छवि तैयार करता है

अन्य सुविधाएँ

9.4 छात्र सहायता निधि

छात्र सहायता निधि का उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों को अपनी ट्यूशन फीस और पाठ्यपुस्तकों की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फॉर्म ऑफिस के कार्यालय से उपलब्ध कराए जाते हैं, अगस्त के पहले सप्ताह में। महाविद्यालय समिति द्वारा एसएएफ की पात्रता / अयोग्यता की समीक्षा की जाएगी।

9.5 बस पास

रियायती बस पास के साथ छात्र यात्रा रियायती विशेषाधिकार का आनंद ले सकते हैं। डीटीसी ने शहर / एनसीआर सेवा के लिए 3106 सीएनजी बसों का संचालन किया है। वे दिल्ली सड़कों पर लगभग 773 मार्गों पर चल रहीं हैं। डीटीसी छात्रों को ऑल रूट रियायती बस पास मुहैया कराती है, जिसका लाभ छात्र कॉलेज के माध्यम से उठा सकते हैं। अपने किफायती छात्र बस पास क वजह से, डीटीसी छात्रों के लिए परिवहन का एक बहुत व्यवहार्य और लोकप्रिय विकल्प है। छात्र आवश्यक प्रपत्र भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

9.6 रेलवे रियायती

मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र, प्रधानाचार्य के माध्यम से स्लीपर क्लास (मेल / एक्सप्रेस) में केवल दूसरी श्रेणी की गाड़ियों में गृहनगर जाने या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 50% और एससी / एसटी के लिए 75% तक लाभ ले सकते हैं। इस रियायत का लाभ उठाने के लिए, छात्र को रियायती टिकट प्राप्त करने के लिए खरीदे गए टिकट (केवल आई-टिकट) के साथ-साथ छात्र रियायती फॉर्म और पहचान पत्र का जमा कराना होगा।

9 .7 बैंक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक सरकारी स्वामित्व वाला, सबसे पुराना और सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक का एक एक्सटेंशन काउंटर कला ब्लॉक के अंदर स्थित है। अपने खाते को खोलने के अलावा, छात्र कई तरह की अनूठी बैंकिंग सेवाओं और गतिविधियों से भी लाभ उठा सकते हैं, जो विशेष रूप से उनके लिए शुरू की गई हैं।

9.8 फोटोस्टेट सेंटर

महाविद्यालय में एक फोटोस्टेट केंद्र है जो कॉलेज के परिसर के भीतर स्थित है। यह अत्यंत उचित दर पर फोटोस्टैट सुविधाएं प्रदान करता है

10. पुरस्कार और छात्रवृत्ति

10.1 अखिल भारतीय प्रवेश छात्रवृत्ति

दिल्ली विश्वविद्यालय हर साल अक्टूबर के महीने में रु. 250.00 प्रति माह और तीन वर्षों के लिए प्रत्येक योग्य छात्र के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराता है। कुल में कम से कम 55% अंकों के साथ कोई ऑनर्स कोर्स छात्र रु 50.00 की परीक्षा शुल्क के साथ 25 अगस्त से पहले तक आवेदन कर सकते हैं निर्धारित प्रारूप में, जोकी दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा VII (I) से प्राप्त किया जा सकता है।

10.2 भौतिकी में डॉ एस एस राव मेमोरियल पुरस्कार

ये पुरस्कार डॉ सुरेंद्र सिंह राव, भौतिक विज्ञान विभाग, पूर्व रीडर, राजधानी कॉलेज की याद में स्थापित किया गया है। डॉ एस एस राव मेमोरियल प्राइज रु 1000 / - के लिए राजधनी कॉलेज के फिजिक्स ऑनर्स के छात्र को विषय में विशिष्ट योग्यता के लिए सम्मानित किया जाता है।

10.3 डा संजय मलिक मेमोरियल अवार्ड

भौतिक विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ संजय मलिक की स्मृति में बैचलर ऑफ ऑनर्स फिजिक्स द्वितीय वर्ष के प्रथम योग्य छात्र को 3,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।

10.4 रसायन विज्ञान में डॉ। एन के आनंद मेमोरियल पुरस्कार

यह पुरस्कार डॉ एन के आनंद की याद में स्थापित किया गया है, पूर्व में रसायन विज्ञान विभाग में रीडर, राजधानी कॉलेज। डॉ एन के आनंद मेमोरियल इनाम रु 800/- राजधानी कॉलेज के केमिस्ट्री ऑनर्स द्वितीय वर्ष के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को पुरस्कार स्वरुप दिया जाता है।

10.5 वाणिज्य में श्री सुल्तान चंद एंड कं मेमोरियल छात्रवृत्ति

यह कॉमर्स ऑनर्स के साथ स्नातक के योग्य छात्रों के लिए है।

10.6 श्रीमती बीएससी में कृष्णरावती गौतम मेमोरियल पुरस्कार

विज्ञान धारा में मेधावी प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीमती कृष्णवती गौतम मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना की गई है।

10.7 रसायन विज्ञान में श्री एस सी गौतम मेमोरियल पुरस्कार

रसायन विज्ञान में श्री एस सी गौतम मेमोरियल प्राइज बैचलर ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स
प्रथम और द्वितीय वर्ष दोनों की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है।

10.8 श्रीमती राधिका और कंप्यूटर विज्ञान में राम शंकर मेमोरियल पुरस्कार

10.9 हिंदी में श्री शिव नंदन शर्मा स्मारक पुरस्कार

10.10 हिंदी में मां मूर्ति देवी स्मृति पुरस्कार

हिंदी में मां मूर्ति देवी स्मृति पुरस्कार की पेशकश हिंदी ऑनर्स के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र के लिए की गयी है।

10.11 भगवान श्री राम चंद्र स्मृति पुरस्कार

रु 3000 / - का वार्षिक पुरस्कार एमए हिंदी अंतिम वर्ष में उच्चतम अंक प्राप्ति के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। इन पुरस्कारों के विवरण के लिए, कॉलेज की वेबसाइट पर जाएं।]

10.12 एससी / एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति

कॉलेज के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों की प्राप्ति पर, दिल्ली से संबंधित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नामांकित विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा इन छात्रवृत्तियों का अनुदान किया जाता है। आवेदन पत्र कॉलेज कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय में आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख हर साल 31 अगस्त है। प्राधानाचार्य द्वारा अभिप्रमाणित, जाति और माता-पिता की आय का प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ होना चाहिए।

11. आंतरिक मूल्यांकन / उपस्थिति / प्रोत्साहन नियम

1. आंतरिक मूल्यांकन (25 अंक) में 10 अंक कक्षा परीक्षण के लिए और 10 अंक समूह व्याख्यान / असाइनमेंट के शामिल होंगे। कक्षा में 5-10 छात्रों का प्रत्येक समूह सेमेस्टर के दौरान अपनी प्रस्तुति बनाएगा। उपस्थिति के लिए 5 अंक हैं।
2. समूह प्रस्तुतियों का मूल्यांकन, कई कारकों के विचार पर आधारित होगा जैसे संचार, सामग्री और शिक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों / टिप्पणियों से प्रभावशील रूप निपटने की क्षमता आदि। कक्षा में उपस्थित अन्य समूहों के छात्र प्रश्न पूछने / टिप्पणियों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो प्रस्तुति के विषय की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
3. प्रायौगिक विषयों में कोई आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा।
4. आंतरिक आकलन / प्रायौगिक परीक्षा में कोई पुनः प्रकटन नहीं होगा। विवरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें: www.du.ac.in

12. पहचान पत्र

कॉलेज सभी छात्रों को पहचान पत्र प्रदान करता है। कॉलेज पहचान पत्र की जीवन में एक अनिवार्य विशेषता है क्योंकि यह एक सुरक्षा पास के रूप में कार्य करता है जो छात्रों को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। परिसर में और विभिन्न कॉलेज और छात्र सुविधाओं का उपयोग करते समय छात्रों को अपने पहचान पत्र को दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। छात्रों को सभी परीक्षाओं के दौरान अपने डेस्क पर अपने पहचान पत्र को प्रदर्शित करना होगा छात्रों को हर समय अपना कार्ड साथ रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सुरक्षित रहता है। यदि आपका कार्ड खो गया है या चोरी हो चुका है, तो कृपया कॉलेज ऑफिस के लिए यथाशीघ्र रिपोर्ट करें।

13. धूम्रपान-निषेध छेत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन, दक्षिण एशिया के साथ साझेदारी में, विश्वविद्यालय तंबाकू-मुक्त वातावरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है विश्वविद्यालय की नीति के अनुपालन में, कॉलेज के भीतर या उसके पास धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डॉ अनिल कुमार, एनएसएस अधिकारी को कॉलेज में धूम्रपान विरोधी अभियान के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

14. बुनियादी नियम

1. कॉलेज परिसर / अहाते में गैरकानूनी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं।

2. प्रत्येक छात्र को कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र साथ रखना चाहिए और मांगे जाने पर दिखाना चाहिए।

3. कॉलेज के अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं होना चाहिए।

4. प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति के बिना छात्र को कॉलेज में दोस्तों / रिश्तेदारों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए।

5. सीढ़ियों पर बैठना सख्ती से निषिद्ध है।

6. छात्रों को कॉलेज परिसर के अंदर अपने निजी वाहनों को लाने की अनुमति नहीं है।

चेतावनी: इन नियमों का उल्लंघन पर, अपराध की गंभीरता के आधार पर, मौद्रिक जुर्माना या निष्कासन या बहिष्करण हो सकता है।

शिकायत / सुझाव बॉक्स

प्रिंसिपल के कार्यालय के सामने एक शिकायत / सुझाव बॉक्स रखा गया है। विद्यार्थी बॉक्स में अपनी शिकायतें या सुझाव छोड़ सकते हैं

15. विश्वविद्यालय नियम और अध्यादेश:

कॉलेज में दाखिल हर छात्र से महाविद्यालय में अपने प्रवास की अवधि के दौरान कॉलेज के अन्दर और बाहर अनुशासन और अच्छे आचरण बनाए रखने की अपेक्षा होती है। किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है। अनुशासन नियमों और रैगिंग के कृत्यों का उल्लंघन विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV-B और XV-C के अनुसार दंडनीय है। छात्रों को इन नियमों को ध्यान से पढ़ने और कॉलेज में रहने के दौरान हर समय अपने आप अच्छे आचरण को सुनिश्चित करने की अपेक्षा होती है।

15.1 ऑर्डिनेंस XV-B

विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन का प्रतिपालन

1. अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियों को कुलपति में निहित किया जाता है।
2. कुलपति, सभी या ऐसी शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जैसा कि प्रॉक्टर के लिए उचित है और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जिसे वह इस संबंध में निर्दिष्ट करते हैं।
3. अध्यादेश के तहत अनुशासन को लागू करने के लिए सत्ता की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्न कृत्य अनुशासनहीनता के रूप में आंके जायेंगे:

क. किसी भी संस्थान / विभाग के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ या दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर किसी भी छात्र के खिलाफ शारीरिक हमले या शारीरिक बल का इस्तेमाल करने की धमकी,
ख. किसी भी हथियार को रखना या उपयोग करना या उसके इस्तेमाल की धमकी देना
ग. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन
घ. अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन
ड. कोई भी व्यवहार-चाहे शाब्दिक अथवा कैसा भी लेकिन महिलाओं के लिए अपमानजनक
च. किसी भी तरह से रिश्वत या भ्रष्टाचार का कोई भी प्रयास
छ. संस्थागत संपत्ति का समझ-बूझ कर विनाश
ज. धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर द्वेष या असहिष्णुता पैदा करना
झ. विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षिक कार्यों के किसी भी तरीके से व्यवधान डालने पर;

ञ. अध्यादेश XV-C के अनुसार रैगिंग का निषेध

4. अनुशासन के रखरखाव से संबंधित अपनी / उसकी शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जैसा कि उसे उचित लगता है, वही कुलपति, उसके/उसकी शक्तियों का उपरोक्त आदेश या सीधे किसी भी छात्र या छात्रा -
क. निष्कासित किया; या

ख. एक निश्चित अवधि के लिए बहिष्कृत; या

ग. एक निर्धारित अवधि के लिए किसी कॉलेज, विभाग या विश्वविद्यालय के संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम में प्रवेश न देना; या
घ. एक निश्चित राशि के साथ जुर्माना किया जा सकता है; या
ड. एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा या परीक्षा लेने से बहिष्कृत किया जाना; या वह परीक्षा या परीक्षाओं जिसमें वह / वो बैठा था उसके नतीजों को रोक देना या उन्हें रद्द किया जा सकता है।
5. संबंधित विभागों में संस्थानों, हॉल और शिक्षण, वे अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, या अपने कॉलेजों, संस्थानों या विभागों में शिक्षकों को अधिकार दे सकते हैं, या वे इन उद्देश्यों के लिए उन्हें निर्दिष्ट कर सकते हैं।
6. उप-कुलपति और प्रॉक्टर की शक्तियों का बिना पूर्वाग्रह के जैसा ऊपर कहा गया है, अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियम तैयार किए जाने चाहिए। इन नियमों को परिपूर्ण किया जा सकता है, अगर ज़रुरत पड़े तो महाविद्यालय के प्रिंसिपल, विद्यालयों के प्रमुख, संकाय के डीन और इस विश्वविद्यालय में अध्यापन विभाग के प्रमुखों द्वारा। प्रत्येक छात्र को इन नियमों की एक प्रति खुद को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाएगी। प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि प्रवेश होने पर वह खुद कोविश्वविद्यालय के उप-कुलपति और कई अधिकारियों के अनुशासनिक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है/करती है, जिसे अनुशासन का अभ्यास करने के अधिकार के साथ निहित किया जा सकता है उन अधिनियमों, विधियों, अध्यादेशों और नियमों के तहत जो विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई हैं।

15.2 ORDINANCE XV-C

रैगिंग के लिए निषेध और सजा

1. किसी भी रूप में रैगिंग, कॉलेज / विभाग या संस्थान के परिसर के भीतर और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर सख्ती से निषिद्ध है।
2. किसी भी व्यक्ति या सामूहिक कृत्य या रैगिंग का करना घोर अनुशासनहीनता को दर्शाता है और इसे अध्यादेश के तहत निपटा जाएगा।
3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए रैगिंग का मतलब आम तौर पर किसी भी कार्य, आचरण या कृत्य होता है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों द्वारा ताजा नामांकित छात्रों या उन छात्रों को जो किसी भी तरह से अन्य छात्रों द्वारा कनिष्ठ या न्यून माना जाते हैं उन्हें शक्ति-प्रदर्शन या ऐसी स्थिति पैदा की जाती है, और इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्यों या प्रथाओं को शामिल किया गया है जैसे:
क. शारीरिक बल का उपयोग या शारीरिक हमले या उसकी धमकी शामिल है ख. महिला छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करना
ग. अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित छात्रों का दर्जा, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन घ. छात्रों को उपहास और अवमानना और उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाली स्थिति में पहुंचाना
ड. अपशब्द प्रयोग और आक्रामकता, असभ्य संकेतों और अश्लील व्यवहार

4. कॉलेज के प्रधानाचार्य, विभाग/ संस्थान के प्रमुख या, कॉलेज/विश्वविद्यालय छात्रावास या आवास के हॉल के अधिकारि रैगिंग की घटना की किसी भी जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।
5. बनिस्पत उपर्युक्त खंड (4) के, प्रोक्टर रगिंग की किसी भी घटना की जांच कर सकता है और रैगिंग घटना की प्रकृति और आरोपित लोगों की पहचान करके उपकुलपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है।

6. प्रॉक्टर रैगिंग के अपराधियों और रैगिंग घटना की प्रकृति की पहचान की स्थापना की एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है।

7. यदि किसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या विभाग के प्रमुख या संस्थान या प्रॉक्टर संतुष्ट हैं कि किन्हीं कारणों से, हालांकि इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाए, कि इस तरह की जांच व्यावहारिक नहीं है तो वह / वह उपकुलपति को सलाह दे सकते हैं/सकती हैं

8. जब उपकुलपति संतुष्ट हो जाए कि ऐसी जांच करना उपयुक्त नहीं है, तो उनका निर्णय अंतिम होगा।

9. रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 3 (ए), (बी) और (सी) में वर्णित रैगिंग घटनाओं की घटना का खुलासा करते हुए खंड (7) के तहत धारा (5) या (6) के तहत या धारा (7) के तहत संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित करने पर , कुलपति निश्चित वर्षों के लिए एक छात्र या छात्रों के उन्मूलन का निर्देशन या आदेश देंगे।

10. वाइस चांसलर रैगिंग ऑर्डर के अन्य मामलों में या सीधे किसी भी छात्र या छात्रों को निष्कासित कर सकते हैं या किसी अवधि के लिए कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम में भर्ती, एक या अधिक वर्षों के लिए विभागीय परीक्षा या कि परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम, जिनमें वो बैठा हो, उन्हें वे रद्द कर सकते हैं ।

11. यदि दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चुका कोई भी छात्र दोषी पाया जाया है; तो इस अध्यादेश के तहत, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री या डिप्लोमा वापस लेने के लिए संविधि 15 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

12. इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए, रैगिंग के लिए उत्पीड़न के कारण, किसी भी कार्य, कृत्य या रैगिंग के प्रोत्साहन के जरिए रैगिंग को भी रैगिंग ठहराया जाएगा।

13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर सभी संस्थानों को इस अध्यादेश के तहत जारी हिदायतों / निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा और उप-कुलपति को प्रभावी अमल में लाने के लिए सहायता प्रदान करना होगा।

नोट: अध्यादेश XV-C के अनुवर्ती में कुलपति का आदेश:

जहां इस अध्यादेश के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा रैगिंग की घटनाओं को सूचित किया गया है, जहां रैगिंग में शामिल छात्र (ओं) को निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित किया जाएगा, ऐसा आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। रैगिंग की रिपोर्ट में शामिल गैर छात्रों को भारत के आपराधिक कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी; वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन लेने से पांच वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य करार होंगे। जिन विद्यार्थियों के विरुद्ध इस नोट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, उन्हें नैतिक न्याय के नियमों के सख्त पालन के साथ, बाद में मुकदमा चलाया जाएगा।

15.3 कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (कानून और न्याय मंत्रालय)

ये अधिनियम महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए और प्रासंगिक घटनाओं के साथ जुड़े मामले के लिए है।

जहां यौन उत्पीड़न का प्रतिफल, भारत के संविधान के लेख 14 और 15 और उसके जीवन के अधिकार के तहत समानता के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीना है और किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय को चलाने, धंधे या व्यापार करने पर, जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है;

और जहां यौन उत्पीड़न और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार के प्रति संरक्षण सार्वभौमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दस्तावेजों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जैसे कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने पर कन्वेंशन, जिसकी 25 जून, 1993 को पुष्टि कर दी गई थी भारत सरकार द्वारा।

और जहां, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के संरक्षण के लिए कन्वेंशन को अमल में लाने के लिए प्रावधान करना वांछनीय है।

विवरण के लिए, कृपया वेबसाइट देखें: http://indiacode.nic.in/acts-inpdf/142013.pdf

16. छुट्टियों की सूची:

2016 में भारत सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों की सूची और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा माना जाएगा:

क्रं० संख्या	छुट्टी का दिन	दिनांक2016 ए डी	सका दिनांक 1937 शक युग 1938 साका युग	दिन

1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 06	मंगलवार
2	होली	24 मार्च	चैत्र 04	बृहस्पतिवार
3	शुक्रवार	25 मार्च	चैत्र 05	शुक्रवार
4	राम नवमी	15 अप्रैल	चैत्र 26	शुक्रवार
5	महावीर जयंती	20 अप्रैल	चैत्र 31	बुधवार
6	बुद्ध पूर्णिमा	21 मई	वैशाख 31	शनिवार
7	ईद-उल-फ़ित्र	06 जुलाई	आषाड़ 15	बुधवार
8	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रवण 24	सोमवार
9	जन्माष्टमी	25 अगस्त	भद्रपद 03	गुरुवार
10	ईद-उल-ज़ुहा(बकरीद)	12 सितंबर	भद्रपद 21	सोमवार
11	गांधी जयंती	02 अक्तूबर	आश्विन10	रविवार
12	दशहरा	11 अक्टूबर	आश्विन 19	मंगलवार
13	मुहर्रम	12 अक्टूबर	आश्विन 20	बुधवार
14	दिवाली (दीपावली)	30 अक्टूबर	कार्तिक 08	रविवार
15	गुरु नानक जयंती	14 नवंबर	कार्तिक 23	सोमवार
16	मिलदा-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन)	13 दिसंबर	अग्रहायण 22	मंगलवार
17	क्रिसमस	25 दिसंबर	पौष 04	रविवार

17. अकादमी कैलेंडर (2016-17):

2016-17 के शैक्षणिक वर्ष के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए निम्न शैक्षणिक कैलेंडर का पालन किया जाना है:

सेमेस्टर I / III / V / VII

कक्षाएं शुरू	20 जुलाई, 2016 (बुधवार)
मध्य सेमेस्टर अंतराल	11 अक्टूबर, 2016 (मंगलवार) से 16 अक्टूबर, 2016 (रविवार)
मध्य सेमेस्टर अंतराल उपरांत कक्षाएं शुरू	17 अक्तूबर, 2016 (सोमवार)

कक्षायें बर्खास्त, तैयारी अवकाश और प्रायौगिक परीक्षा	12 नवंबर 2016 (शनिवार)
सिद्धांत परीक्षाएं शुरू	24 नवंबर 2016 (गुरुवार)
शीतकालीन अंतराल	17 दिसंबर, 2016 (शनिवार) से 1 जनवरी, 2017 (रविवार)

सेमेस्टर II / IV / VI / VIII

कक्षाएं शुरू	2 जनवरी, 2017 (सोमवार)
मध्य सेमेस्टर अंतराल	13 मार्च, 2017 (सोमवार) से 1 9 मार्च, 2017 (रविवार)
मध्य सेमेस्टर अंतराल उपरांत कक्षाएं शुरू	20 मार्च, 2017 (सोमवार)
कक्षायें बर्खास्त, तैयारी अवकाश और प्रायौगिक परीक्षा	27 अप्रैल, 2017 (गुरुवार)
सिद्धांत परीक्षा शुरू	9 मई, 2017 (मंगलवार)
ग्रीष्मकालीन अवकाश	20 मई, 2017 (शनिवार) से 1 9 जुलाई, 2017 (बुधवार)

18. नए छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम

प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

रैगिंग सख्ती से प्रतिबंधित है।
रागिंग सम्बन्धी किसी भी शिकायत के लिए
कृपया प्रमुख प्रॉक्टर से संपर्क करें।